[2019] 15 एस. सी. आर. 865

पश्चिम बंगाल और ओआरएस का राज्य।

वी.

काल्कुट्टा क्लब लिमिटेड

(2009 की सिविल अपील No.4184)

अक्टूबर 03,2019

[आर. एफ. नरीमन, सूर्या कान्ट और वी. रामसुब्रमणियन, जे. जे.]

सिद्धांत/सिद्धांत-पारस्परिकता का सिद्धांत-प्रयोज्यता

के, 2009 के सी. ए. No.4184 में Art.366 (29-ए) के 46 वें संशोधन के बाद, निर्धारिती-प्रतिवादी क्लब, यू / धारा 25,1956 अधिनियम को यह सूचित करते हुए नोटिस जारी किया गया था कि यह स्थायी सदस्यों को खाद्य और पेय पदार्थों की बिक्री पर बिक्री कर का भुगतान करने में विफल रहा है -

प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि उसके द्वारा अपने स्थायी सदस्यों को कोई बिक्री नहीं की जा सकती है, क्योंकि पारस्परिकता का सिद्धांत लागू होगा पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण ने कहा कि प्रत्यर्थी 1994 के अधिनियम के तहत कर के लिए पात्र नहीं है-उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई-सर्वोच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अन्य बातों के साथ-साथ 3 प्रश्नों को निर्धारित किया है जिनका उत्तर बड़ी पीठ द्वारा दिया जाना है, अर्थात्। (i) क्या भारत के संविधान के Art.366 (29-A) में 46 वें संशोधन के बाद भी पारस्परिकता का सिद्धांत निगमित क्लबों या किसी भी क्लब पर लागू होता है? ; ((ii) क्या यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला 46 वें संशोधन के बाद भी कायम है? और (iii) क्या 46 वां संशोधन, काल्पनिक मानते हुए, निगमित क्लबों द्वारा खाद्य और पेय पदार्थों के प्रावधान का प्रावधान करता है

इसके स्थायी सदस्य बिक्री का गठन करते हैं, इस प्रकार बिक्री कर के लिए उत्तरदायी हैं। - 2012 के सी. ए. No.7497 और संबंधित मामलों में, इस मुद्दे में सदस्यों के क्लबों पर वित्त अधिनियम, 1994 द्वारा सेवा कर लगाना शामिल है, जिनमें से अधिकांश यू./यू. में कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं। 1956 के अधिनियम की धारा 25 या विभिन्न राज्य अधिनियमों के तहत सहकारी समितियों के रूप में-आयोजितः यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन। निगम में एक क्लब के बीच कोई अंतर नहीं किया

एक पंजीकृत सोसायटी के माध्यम से या न्यास के विलेख द्वारा निगमित एक प्रपत्र और एक क्लब-निर्णय का सार यह है कि संपत्ति का स्वामित्व क्लब के सदस्यों के लिए और उनकी ओर से एक होल्डिंग होना चाहिए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपत्ति का हस्तांतरण नहीं होना चाहिए-सदस्यों के क्लबों में योगदानकर्ताओं और प्रतिभागियों के बीच एक पूरी पहचान होती है-इस प्रकार, सदस्यों के क्लबों में है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को विचार के लिए कोई बिक्री नहीं, जैसा कि कोई नहीं कर सकता है

स्वयं को कुछ बेचना-इसे लागू करने में क्या सार है पारस्परिकता का सिद्धांत यह है कि दोनों के बीच कोई बिक्री लेनदेन नहीं है।

दो व्यक्ति, एक व्यक्ति के रूप में खुद को माल नहीं बेच सकता-का अनुपात यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन। सीमित द्वारा समाप्त नहीं किया गया है

Art.366 (29-A) (e) द्वारा शुरू की गई कल्पना-प्रश्नों के उत्तर (i) पारस्परिकता का सिद्धांत निगमित लोगों पर लागू होता रहता है।

और 46 वें संशोधन के बाद अनिगमित सदस्यों के क्लबों को जोड़ा गया

Art.366 (29-A); (ii) यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन। और अन्य निर्णय

46th संशोधन; और (iii) Art.366 (29-A) के उपखंड (f) में कोई नहीं है सदस्यों के क्लबों को आवेदन में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है

इस मामले में तथ्य या कानून की घोषणा के निष्कर्ष-इसके अलावा, सी. ए. No.7497/12 और संबंधित मामलों में-की ओर से तर्क

1 जुलाई से पहले क्लबों या संघों को शामिल करने वाले उत्तरदाता, 2012 सेवा कर के दायरे में शामिल नहीं थे तो स्वीकार किया जाता है-क्या

वर्तमान निर्णय में कहा गया है जहाँ तक बिक्री कर है

संबंधित सेवा कर के सभी चार पहलुओं पर लागू होता है-स्पष्टीकरण 3 (ए) से

क्लब जो निगमित हैं-2005 के बाद से, वित्त अधिनियम, 1994 में सदस्यों के क्लबों पर सेवा कर लगाने का तात्पर्य नहीं है।

निगमित रूप-झारखंड उच्च न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय ने यंग मेन्स के नियमों का पालन करने में कानून के बारे में अपने विचार को सही माना

भारतीय एसोसिएशन। मामला-इस प्रकार, कारण दिखाएँ नोटिस, मांग नोटिस और

निगमित से सेवा कर लगाने और एकत्र करने के लिए की गई अन्य कार्रवाई सदस्यों के क्लब अमान्य हैं और कानून में इसका कोई प्रभाव नहीं है-पश्चिम बंगाल बिक्री

कर अधिनियम, 1994-एस. 2 (5) , (10) , (30) & एस. 9 भारत का संविधान

Art.366 (29-ए) (ई) (एफ)-कंपनी अधिनियम, 1956 - एस. 25-संविधान

(46 वां संशोधन) अधिनियम, 1982-सामान्य खंड अधिनियम-आय

कर अधिनियम, 1961 - धारा 2 (24) (vii), 2 (31), 44,45 (2)-वित्त अधिनियम, 1994 -

एसएस। 64 (3) , 65 (25a), (25aa), 65 (105) (zze), 65 (A), 65B (37), स्पष्टीकरण 3 (ए) से एस। 65 बी (44), 66 बी, 66 डी, 67,68-वित्त अधिनियम, 2006-वित्त

अधिनियम, 2012-कानूनों की व्याख्या-केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956।

भारत का संविधान-Art.366 (29-A) में 46 वां संशोधन

-

61 अपीलार्थियों की ओर से प्रथम विधि आयोग की रिपोर्ट याचिका,

उक्त रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए, जो के अधिनियमन से पहले थी

Art.366 (29-A); वस्तुओं और कारणों का विवरण 'संलग्न किया गया

1981 के विधेयक में, जिसके कारण Art.366 (29-A) को सम्मिलित किया गया; और पश्चिम बंगाल राज्य में v.

काल्कुट्टा क्लब लिमिटेड

विशेष रूप से Art.366 (29-A) (e), (f) के लिए यह तर्क देने के लिए कि Art.366 (29-A) (e) को पारस्परिकता के सिद्धांत को दूर करने के लिए डाला गया था,

जहाँ तक यह सदस्यों के क्लबों पर लागू होता है और इसलिए, यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन में निर्णय के आधार को समाप्त करने की मांग की गई। मामला-आयोजितः स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स ने यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन के मामले को नहीं पढ़ा है। अपने सही परिप्रेक्ष्य में-यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन। इसके समक्ष तीन अलग-अलग अपीलें थीं, जिनमें से एक में एक कंपनी शामिल थी-इसलिए यह बताना कि कानून के तहत, जैसा कि 46 वें संशोधन की तारीख को था, माल की बिक्री।

सदस्यों के लिए निगमित दर्जा रखने वाले क्लब द्वारा कर योग्य है, यह पूरी तरह से गलत है-इस गलत आधार पर कार्यवाही करते हुए, 46 वें संशोधन ने उन क्लबों द्वारा कर बिक्री लाने की मांग की, जिनका अपने सदस्यों से अलग अस्तित्व नहीं है-ऐसा करते हुए, 46 वें संशोधन में "कोई भी अनिगमित संघ या व्यक्तियों का निकाय" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया-यह अभिव्यक्ति, जब उद्देश्यों और कारणों के विवरण के साथ पढ़ी जाती है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल ऐसे क्लब थे जो निगमित रूप में नहीं थे, जिन्हें कर के दायरे में लाने की मांग की गई थी, क्योंकि यह गलत तरीके से माना गया था कि सदस्यों द्वारा माल की बिक्री "

निगमित रूप में क्लब कर योग्य थे-"कोई भी" "सभी" के बराबर है-इसलिए, यह शब्द भी उपरोक्त व्याख्या के लिए खुद को उधार देता है, क्योंकि विधायिका का जोर सभी पर है।

गैर-निगमित संघों या निकायों को उपखंड (ई) संविधान (छियालिसवां संशोधन) विधेयक, 1981-संविधान (छियालिसवां संशोधन) अधिनियम, 1982-क़ानूनों की व्याख्या-पारस्परिकता के सिद्धांत के अंतर्गत लाया जा रहा है।

शब्द और अभिव्यक्तियाँ-"अनिगमित संघ या निकाय"

उपखंड (ई) से Art.366 (29-ए) में व्यक्तियों की-अपीलार्थियों की ओर से याचिका कि उक्त अभिव्यक्ति को अलग-अलग पढ़ा जाना चाहिए।

और इस प्रकार, निगमित व्यक्तियों जैसे कि कंपनियों को शामिल किया जाएगा,

सहकारी समितियाँ आदि-आयोजितः इस धारणा पर कि "अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय" को पढ़ा जाना चाहिए असंगत रूप से, "व्यक्तियों के एक समूह" की तुलना "व्यक्ति" से नहीं की जा सकती है।

" सामान्य खंड अधिनियम द्वारा परिभाषित व्यक्ति (जो लागू होता है)

संविधान की व्याख्या के अनुसार Art.367) में कहा गया है कि "व्यक्ति" में कोई भी कंपनी या संघ या निकाय शामिल होगा व्यक्ति, चाहे वे निगमित हों या नहीं-कला। 366 (29 - ए) इस अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करता है, क्योंकि "व्यक्ति" में तब निगमित शामिल होगा

व्यक्तियों के साथ-साथ "व्यक्तियों के समूह" का उपयोग [2019] 15 एस. सी. आर. से आगे इसे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है।

संदेह है कि कॉर्पोरेट व्यक्तियों को संदर्भित नहीं किया जाता है-इसके अलावा, विपरीत 1961 के अधिनियम और Art.366 (29-A) (e) की भाषा में फिर से इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि "व्यक्तियों का निकाय" का उल्लेख नहीं होगा

निगमित रूप जब तक कि "व्यक्ति" के साथ "चाहे निगमित हो या नहीं" अभिव्यक्ति न हो-भारत का संविधान Art.366 (29-A) (e), 367-सामान्य खंड अधिनियम-आयकर अधिनियम, 1961 - धारा 2 (31)-क़ानूनों की व्याख्या।

अनुबंध अधिनियम, 1872। 2 (घ)-प्रत्यर्थी की ओर से याचिका। 2 (घ) यह स्पष्ट करता है कि विचार एक से प्रवाहित होना चाहिए

एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और दो खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में, जैसा कि यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन के मामले में होता है। , Art.366 (29-A) का कोई आवेदन नहीं होगा-आयोजितः " किसी अनिगमित संघ द्वारा माल की आपूर्ति या

व्यक्तियों का निकाय किसी सदस्य के पास नकद, विलंबित भुगतान या अन्य मूल्यवान विचार के लिए होना चाहिए-द्वारा सही तर्क दिया गया

उत्तरदाताओं, एस में "विचार" की परिभाषा। 2 (घ) 1872 के अधिनियम में अनिवार्य रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पारित करने पर विचार किया गया है।

दूसरा-इसे आई. डी. 1 (29 ए) के अंतिम भाग द्वारा और मजबूत किया जाता है, क्योंकि इस भाग के तहत, ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति को आपूर्ति करने वाले व्यक्ति द्वारा उन वस्तुओं की बिक्री माना जाएगा, और उन वस्तुओं की खरीद उस व्यक्ति द्वारा की जाएगी जिसे युवा भारतीय संघ के रूप में ऐसी आपूर्ति की जाती है। मामला और पारस्परिकता राज्य के सिद्धांत के अनुसार, एक क्लब और उसके सदस्यों के बीच यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन के अनुपात में कोई बिक्री लेनदेन नहीं होता है। Art.366 (29-A) (e)-भारत का संविधान Art.366 (29-A)-पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिनियम, 1994-ss द्वारा शुरू की गई सीमित कल्पना द्वारा समाप्त नहीं किया गया है। 2 (5) , (30) - पारस्परिकता का सिद्धांत।

भारत का संविधान-Art.366 (29-A) (e), (f)-सदस्यों के क्लब के लिए उपखंड (f) की प्रयोज्यता-आयोजितः उपखंड (च) का कारण,

जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है, सर्वोच्च न्यायालय के दो निर्णयों को समाप्त करना है, अर्थात्। , संबद्ध होटल

ऑफ इंडिया लिमिटेड और नॉर्दर्न इंडिया कैटरर्स-यह उपखंड (च) की विषय वस्तु से भी स्पष्ट है (जिसमें पूरी तरह से "माल" शामिल नहीं है, बल्कि केवल भोजन या मानव के लिए कोई अन्य वस्तु शामिल है।

उपभोग, या कोई भी पेय), जो होटल या रेस्तरां में इस तरह के भोजन या पेय की सेवा है-यह आगे एस द्वारा स्पष्ट किया जाता है। 6 46 वें संशोधन अधिनियम, जो एक मान्यता और छूट का प्रावधान है - धारा 6

(1) (क) विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त दो निर्णयों-पश्चिम बंगाल राज्य का उपखंड (क) के लिए संदर्भित लेनदेन को संदर्भित करता है।

काल्कुट्टा क्लब लिमिटेड

एस। 6 (2) यह 07.09.1978 को संदर्भित करता है, जो वह तारीख है जिस पर उत्तरी भारत केटरर्स का उच्चारण किया गया था और उप-खंड (बी) 04.01.1972 को संदर्भित करता है, जब एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया लिमिटेड का उच्चारण किया गया था -

46 इसलिए, जब संशोधन अधिनियम को समग्र रूप से पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि Art.366 (29-A) (f) केवल उपरोक्त दो निर्णयों को पूर्ववत करने के लिए संदर्भित करता है, जिसका विषय होटल और रेस्तरां में परोसे जाने वाले भोजन या पेय की करयोग्यता है-इस प्रकार, सदस्यों के क्लबों में परोसे जाने वाले भोजन या पेय की करयोग्यता उप-खंड (f) की विषय वस्तु नहीं है-उप-खंड (f) की विषय वस्तु पूरी तरह से अलग और उप-खंड (e) से अलग है, और संभवतः सदस्यों के क्लबों पर लागू नहीं हो सकती है-इस प्रकार, अभिव्यक्ति "किसी भी तरह से"

जो भी हो, उपखंड (च) का अभिन्न अंग होने के नाते सभी वस्तुओं की आपूर्ति का विस्तार नहीं किया जा सकता है ताकि सदस्यों के क्लबों-संविधान (छियालिसवां संशोधन) अधिनियम, 1982 पर लागू होने पर ऐसी वस्तुओं पर कर लगाया जा सके। 6 . आयकर अधिनियम, 1961-एस. 2 (24) (vii), 44,45 (2)-आयोजितः पारस्परिकता के सिद्धांत को उपखंड द्वारा समाप्त नहीं किया गया है।

(ई) से Art.366 (29-ए) भी स्पष्ट होता है जब उपखंड (ई) को एस के साथ विपरीत किया जाता है। 2 (24) (vii) 1961 के अधिनियम आर/डब्ल्यू एस। 44 - उक्त प्रावधानों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब पारस्परिक लाभ और लाभ बीमा कंपनी पर कर लगाने की मांग की जाती है, वे इस तथ्य के स्पष्ट संदर्भ में किए जाते हैं कि बीमा का व्यवसाय एक पारस्परिक बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है-Art.366 (29-A) के उप-खंड (e) में ऐसी किसी भी भाषा की अनुपस्थिति भी इस तथ्य का एक महत्वपूर्ण संकेत है कि पारस्परिकता के सिद्धांत को नहीं कहा जा सकता है

उक्त 46 वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है-साथ ही, एस. 45 (2) एक ऐसे प्रावधान का एक उदाहरण है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं को किए गए मानित हस्तांतरण पर कर लगाया जाता है-कर राशि लाने के लिए इस तरह के तरीके जो पारस्परिकता के किसी भी सिद्धांत को समाप्त कर देंगे, अनुच्छेद 366 (29 ए) (ई)-भारत के संविधान-Art.366 (29-ए) (ई)-संविधान (छियालिसवां संशोधन) अधिनियम, 1982-पारस्परिकता के सिद्धांत की भाषा में उनकी अनुपस्थिति से स्पष्ट हैं।

शब्द और अभिव्यक्तियाँ अभिव्यक्ति "व्यक्तियों का निकाय"

एस के स्पष्टीकरण में हो रहा है। 65 और एस। 65 (25a) और (25aa) का अर्थः उक्त अभिव्यक्ति एक को संदर्भित नहीं करती है

वित्त अधिनियम, 1994-एस को स्पष्टीकरण। 65 , एसएस। 65 (25 ए), (25 एए); एस। 65 बी (37) और स्पष्टीकरण 3 (ए) से एस। 65 ख (44)-वित्त अधिनियम, 2006।

9] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वित्त अधिनियम, 1994-एस को स्पष्टीकरण। 65 , एसएस। 65 (25 ए), (25 एए); s.65B (37) और स्पष्टीकरण 3 (ए) से एस। 65 बी (44)-की प्रयोज्यता स्पष्टीकरण 3 (ए) से एस। 65 बी (44) निगमित सदस्यों के क्लबों के लिए -

चर्चा किया गया वित्त अधिनियम, 2006-वित्त अधिनियम, 2012।

2009 की सिविल अपील No.4184 को खारिज करना और

राजस्व की अपील, प्रार्थना (i) के संदर्भ में 2017 की रिट याचिका (सिविल) No.321 को अनुमति देते हुए, न्यायालय

पकड़नाः 1.1 यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन ने नहीं किया

क्लब के सदस्यों के लिए और उनकी ओर से एक होल्डिंग होनी चाहिए, जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं होना चाहिए। स्वामित्व क्लबों को प्रतिष्ठित किया गया था, क्योंकि वहाँ के मालिक क्लब स्वयं सदस्य नहीं होगा, बल्कि कोई और होगा। वर्तमान अपील कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनी से संबंधित है। इन कंपनियों में, शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान निषिद्ध है, और लाभ, यदि कोई हो, तो कंपनी के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए लागू किया जाना चाहिए। बाचा एफ. गुज़दार ने धारा 25 वाली कंपनी के साथ सौदा नहीं किया-यह इसके साथ निपटती थी

दो चाय कंपनियाँ जो कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत पब्लिक लिमिटेड कंपनियाँ थीं। कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत कंपनियों के रूप में पंजीकृत क्लबों और अन्य कंपनियों के बीच क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में बताए गए मतभेदों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि बाचा एफ. गुज़दार में फैसले में तय किया गया अनुपात ऐसे क्लबों पर लागू नहीं होगा-कोई शेयरधारक नहीं है, कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है, और लाभ का कोई वितरण नहीं हो रहा है। इसलिए, ऐसे क्लबों को उनके सदस्यों से अलग कानूनी रूप से नहीं माना जा सकता है। यदि व्यक्ति एक निश्चित गतिविधि करते हैं

क्योंकि सामान्य निधि से उत्पन्न होने वाला अधिशेष सदस्यों के बीच वितरित नहीं किया जाता है-यह पर्याप्त है कि अधिशेष पर निपटान का अधिकार है, और उस अधिकार का प्रयोग करते हुए वे इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि समाप्त होने पर, अधिशेष हस्तांतरित किया जाएगा। समान गतिविधियों वाले किसी क्लब या संघ के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अधिशेष किया जाता है वह पश्चिम बंगाल राज्य के सदस्यों को वापस नहीं आता है।

दो व्यक्तियों के बीच लेनदेन, क्योंकि एक व्यक्ति माल नहीं बेच सकता है अपने लिए। [पैरा 26,30] [908-बी-डी, एच; 909-ए; 911-सी-डी; 914-बी-डी]

सी. टी. ओ. वी. यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन (1970) 1 एससीसी

462 : [1970] 3 एससीआर 680-समझाया गया।

बाचा एफ. गुज़दार बनाम आयकर आयुक्त,

बॉम्बे [1955] 1 एस. सी. आर. 876-प्रतिष्ठित।

क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम बॉम्बे लेबर यूनियन

[1969] 1 एस. सी. आर. 600; बैंगलोर क्लब बनाम। कमिश्नर

एस. सी. आर. 267-निर्भर।

1.2 61 वें विधि आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि

यह नहीं कहा जा सकता है कि कर की कोई चोरी हुई है क्योंकि सदस्य 'क्लब' का सदस्य वास्तव में अपना सामान लेता है और इसलिए उसने ऐसी वस्तुओं पर कर लगाने की कोशिश नहीं की। 46 वें संशोधन के निर्माताओं ने अन्यथा सोचा, और यह स्पष्ट कर दिया कि वे अनिगमित क्लबों या संघों द्वारा की गई कर बिक्री को लाने की मांग कर रहे थे।

जैसा कि यह 46 वें संशोधन की तारीख को था, सदस्यों को कॉर्पोरेट दर्जा रखने वाले क्लब द्वारा वस्तुओं की बिक्री कर योग्य है, पूरी तरह से गलत है। इस गलत आधार पर आगे बढ़ते हुए, 46 वें संशोधन ने उन क्लबों द्वारा कर बिक्री को लाने की मांग की, जिनका अपने सदस्यों से अलग अस्तित्व नहीं है। ऐसा करने में, 46 वें संशोधन में "कोई भी" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया था। असंबद्ध संघ या व्यक्तियों का निकाय "। यह अभिव्यक्ति, जब उद्देश्यों और कारणों के कथन के साथ पढ़ी जाती है, तो यह स्पष्ट होता है कि यह केवल ऐसे क्लब थे जो कॉर्पोरेट रूप में नहीं हैं जो [2019] 15 एस. सी. आर.

या उपखंड (ई) के भीतर लाए जा रहे निकाय। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि के इरादे के बारे में तर्क के अनुसार भी विधायिका, जैसा कि उस उद्देश्य के माध्यम से देखा गया है जिसे विधायिका प्राप्त करना चाहती थी, उपरोक्त अभिव्यक्ति केवल उन क्लबों पर लागू होगी जो कॉर्पोरेट रूप में नहीं थे।

[पारस 32-34] [914-F-H; 915-A-D]

1.3 अन्यथा भी, इस धारणा पर कि

" असंबद्ध संगठन या व्यक्तियों के निकाय को "अलग-अलग पढ़ा जाना चाहिए", व्यक्तियों के एक निकाय को "व्यक्ति" के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। व्यक्ति "जैसा कि सामान्य खंड अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है, (जो अनुच्छेद द्वारा संविधान की व्याख्या पर लागू होता है) 367) इसमें कहा गया है कि "व्यक्ति" में कोई भी कंपनी या संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल होगा, चाहे वह निगमित हो या नहीं। लेख

366 (29 - ए) इस अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करता है, क्योंकि "व्यक्ति" में तब निगमित व्यक्ति भी शामिल होंगे। दूसरी ओर, "व्यक्तियों के निकाय" का उपयोग यह स्पष्ट करने के लिए किया जाता है कि कॉर्पोरेट व्यक्तियों को संदर्भित नहीं किया जाता है। अन्य में "व्यक्ति" की परिभाषा

आयकर अधिनियम, 1961 जैसे अधिनियम भी बहुत व्यापक हैं, और इसमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 (31) के तहत व्यक्तियों या व्यक्तियों का एक संगठन शामिल है, चाहे वह निगमित हो या नहीं। काफी स्पष्ट रूप से, यह भाषा उपलब्ध थी और विधायिका द्वारा आम उपयोग में थी, क्योंकि आयकर अधिनियम के तहत "व्यक्ति" की परिभाषा 1961 से क़ानून की पुस्तक में है। आयकर अधिनियम, 1961 और अनुच्छेद 366 (29 ए) (ई) की भाषा में विरोधाभास एक बार फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि "व्यक्तियों का निकाय" तब तक निगमित रूप को संदर्भित नहीं करेगा जब तक कि "व्यक्ति" स्वयं नहीं होता है।

"चाहे सम्मिलित किया गया हो या नहीं" अभिव्यक्ति के साथ। अन्यथा भी, किसी अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय द्वारा वस्तुओं की "आपूर्ति" किसी सदस्य को नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए की जानी चाहिए। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2 (डी) में "विचार" की परिभाषा अनिवार्य रूप से एक व्यक्ति से पारित विचार को प्रस्तुत करती है। किसी और के लिए। इसे पश्चिम बंगाल बनाम के अनुच्छेद राज्य के अंतिम भाग द्वारा और मजबूत किया गया है।

366 (29 - ए), इस भाग के तहत, ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति को बनाने वाले व्यक्ति द्वारा उन वस्तुओं की बिक्री माना जाएगा।

आपूर्ति, और उस व्यक्ति द्वारा उन वस्तुओं की खरीद जिसे ऐसी आपूर्ति की जाती है। यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन के मामले और पारस्परिकता के सिद्धांत के अनुसार, क्लब और उसके सदस्यों के बीच कोई बिक्री लेनदेन नहीं होता है। स्वयं को माल की बिक्री नहीं हो सकती है। यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन (उपरोक्त) के अनुपात को अनुच्छेद 366 (29-ए) (ई) द्वारा शुरू की गई सीमित कल्पना द्वारा समाप्त नहीं किया गया है। [पारस 35-38] [915-E-H; 916-A-C, H; 917-A-B]

पोलक और मुल्ला, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक राहत अधिनियम (16 वीं संस्करण)-संदर्भित।

1.4 उपखंड (च) का कारण, जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है, दो को समाप्त करना है।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय। छूट का प्रावधान मामले को संदेह से परे रखता है। उपखंड (ए) 7 सितंबर, 1978 को संदर्भित करता है, जो वह तारीख है जिस दिन उत्तर भारत केटरर्स थे। स्पष्ट और उपखंड (बी) 4 जनवरी, 1972 को संदर्भित करता है, जो वह तारीख है जिस पर एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया था।

उच्चारण करते हैं। अतः 46 वां संशोधन अधिनियम, जब समग्र रूप से पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुच्छेद 366 (29-ए) (एफ) केवल उपरोक्त दो निर्णयों को पूर्ववत करने के लिए संदर्भित करता है, जो विषय वस्तु है।

होटलों में परोसे जाने वाले भोजन या पेय पर कर लगाया जाना और रेस्तरां। इस मामले में, यह स्पष्ट है कि सदस्यों के क्लबों में परोसे जाने वाले भोजन या पेय की करयोग्यता उपखंड (च) का विषय नहीं है। एक सदस्य क्लब उन वस्तुओं की आपूर्ति कर सकता है जो भोजन या पेय नहीं हैं-उदाहरण के लिए, साबुन, सौंदर्य प्रसाधन और अन्य

घरेलू सामान। ये वस्तुएँ "वस्तुएँ" होंगी, लेकिन [2019] 15 एस. सी. आर. नहीं होंगी।

उपखंड (च) के भीतर होना-भोजन या पेय नहीं होना, और इसलिए, उपखंड (च) के तहत कर नहीं लगाया जा सकता है, जिससे सदस्यों के क्लबों में भोजन और पेय की आपूर्ति कर योग्य होने की बेतुकी स्थिति पैदा हो जाती है, और ऐसे क्लबों में अन्य वस्तुओं की आपूर्ति कर दायरे से बाहर हो जाती है। इस कारण से भी, यह स्पष्ट है कि उपखंड (च) की विषय वस्तु उपखंड (ङ) से पूरी तरह से अलग और अलग है, और संभवतः सदस्यों के क्लबों पर लागू नहीं हो सकती है। मामले के इस दृष्टिकोण में, "किसी भी तरह से", उपखंड (च) का हिस्सा होने के नाते, अभिव्यक्ति का विस्तार नहीं किया जा सकता है।

सभी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ताकि ऐसी वस्तुओं पर कर लगाया जा सके जब सदस्यों के क्लबों पर लागू किया गया। [पारस 39-42] [917-C-E; 918-B-F]

उत्तरी भारत कैटरर्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल (1978) 4 एस. सी. सी. 36: [1979] 1 एस. सी. आर. 557; पंजाब राज्य बनाम। एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया लिमिटेड ए. आई. आर 1972

एससी 1131: [1972] 2 एस. सी. आर. 937-संदर्भित।

1.5 यह भी स्पष्ट है कि पारस्परिकता के सिद्धांत को उपखंड (ई) द्वारा समाप्त नहीं किया गया है, जब उपखंड (ई) आयकर अधिनियम, 1961 के कुछ प्रावधानों के विपरीत है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 (24) (vii) को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। उपरोक्त प्रावधानों को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि जब किसी पारस्परिक बीमा कंपनी के लाभ और लाभ पर कर लगाने की मांग की जाती है, तो वे इस तथ्य के स्पष्ट संदर्भ में किए जाते हैं कि बीमा का व्यवसाय एक पारस्परिक बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 366 (29-ए) के उपखंड (ई) में ऐसी किसी भी भाषा की अनुपस्थिति भी इस तथ्य का एक महत्वपूर्ण संकेत है कि पारस्परिकता के सिद्धांत को समाप्त नहीं किया जा सकता है।

46 वें संशोधन ने कहा। इसके अलावा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 45 (2) एक ऐसे प्रावधान का एक उदाहरण है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं को किए गए मानित हस्तांतरण पर कर लगाया जाता है। यह इस प्रावधान से देखा जा सकता है।

कि किसी पूँजी संपत्ति के स्वामी द्वारा किसी व्यवसाय के स्टॉक-इन-ट्रेड में परिवर्तन के माध्यम से हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाला लाभ या लाभ, इस तथ्य के बावजूद कि किसी पूँजी संपत्ति के मालिक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कानूनी रूप से कोई हस्तांतरण नहीं किया जाता है, कर में लाया गया एक काल्पनिक विचार है। कर राशियों को लाने के लिए इस तरह के तरीके जो पश्चिम बंगाल राज्य के किसी भी सिद्धांत को समाप्त कर देंगे।

काल्कुट्टा क्लब लिमिटेड

पारस्परिकता की भाषा में उनकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है

अनुच्छेद 366 (29-ए) (ई)। [पारस 45,46 और 48] [920-ई, एच; 921-सी, एफ; 922-सी]

आयकर अधिकारी, मुंबई बनाम. वेंकटेश परिसर

सहकारी समिति लिमिटेड (2018) 15 एस. सी. सी. 37: [2018] 3 एस. सी. आर. 214-संदर्भित।

1.6 डिवीजन बेंच द्वारा पूछे गए तीन प्रश्न

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। कलकत्ता क्लब लिमिटेड का उत्तर इस प्रकार है:

(1) पारस्परिकता का सिद्धांत अभी भी लागू है

निगमित और अनिगमित सदस्यों के क्लब

46 भारतीय संविधान में अनुच्छेद 366 (29-ए) जोड़ना।

(2) यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन और अन्य निर्णय

जिसने इस सिद्धांत को लागू किया, वह 46 वें संशोधन के बाद भी इस क्षेत्र में बना हुआ है।

(3) अनुच्छेद 366 (29-ए) का उपखंड (एफ) सदस्यों के क्लबों पर लागू नहीं होता है।

तथ्य या तथ्य के निष्कर्षों में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

इस मामले में कानून की घोषणा। 2009 की सी. ए. सं. 4184 खारिज की जाती है। [पारस 49,50] [922-ई-एच]

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। कलकत्ता क्लब लिमिटेड

(2017) 5 एससीसी 356: [2016] 6 एस. सी. आर. 748-संदर्भित।

2012 का सी. ए. No.7497 और अन्य संबंधित मामले

2.1 सेवा कर पहली बार लागू किया गया था

वित्त अधिनियम, 1994। वित्त अधिनियम की धारा 64 (3) के तहत, अध्याय 5 16 जून, 2005 से परिभाषित कर योग्य सेवाओं पर लागू होता है। धारा 65 (25 ए) के तहत, "क्लब या संगठन" को परिभाषित किया गया था। धारा 65 (105) (जेडजेडई) के तहत, "कर योग्य सेवा" को परिभाषित किया गया था। 1 मई, 2011 से "क्लब या संगठन" को धारा 65 (25 एए) द्वारा परिभाषित किया गया था। इसी तरह, खंड में 65 (105) ( ), "या कोई अन्य व्यक्ति" अभिव्यक्ति को "इसके सदस्यों के लिए" अभिव्यक्ति के बाद जोड़ा गया था, इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि कर जाल को अब चौड़ा कर दिया गया था ताकि गैर-सदस्यों [2019] 15 एस. सी. आर. को शामिल किया जा सके।

क्लबों या संघों का भी। धारा 66 के तहत यह कहा गया था कि धारा 65 के खंड (105) के उपखंड (जेडजेडजेड) में निर्दिष्ट कर योग्य सेवाओं के मूल्य के 12 प्रतिशत की दर से कर ("सेवा कर" के रूप में संदर्भित) लगाया जाएगा और इस तरह से एकत्र किया जाएगा जो निर्धारित किया जाए। धारा 67 के तहत, जहां किसी भी कर योग्य सेवा पर उसके मूल्य के संदर्भ में सेवा कर लगाया जाता है। 1 जुलाई, 2012 से धारा 65 और 65 ए को लागू नहीं किया गया और एक नई धारा 65 बी पेश की गई, जिसमें धारा 65 बी (37) के तहत "व्यक्ति" शब्द को परिभाषित किया गया था। धारा 65 बी (44) के तहत "सेवा" को परिभाषित किया गया था। इसके बाद एक नई धारा 66 बी पेश की गई। सेवा कर इस प्रकार था

परिभाषित सभी सेवाओं पर देय, सेवाओं की एक नकारात्मक सूची से कम जो तब अधिनियम की धारा 66 डी में निर्धारित की गई थी। [पारस 58-63,65-68] [925-F; 926-C-D, H]

2.2 धारा 65 (25 ए) में निहित "क्लब या संगठन" की परिभाषा यह स्पष्ट करती है कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय

अपने सदस्यों को सदस्यता या किसी अन्य राशि के लिए सेवाएं प्रदान करना कर दायरे में होगा। हालाँकि, जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि वर्तमान में लागू किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत "स्थापित या गठित" कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं है। संबंधित अधिनियमों के तहत पंजीकृत कंपनियों और सहकारी समितियों को निश्चित रूप से इसके तहत गठित कहा जा सकता है

उन अधिनियमों। यह मामला होने के नाते, उत्तरदाताओं की ओर से तर्क जिसमें क्लब या संघ शामिल थे या इससे पहले

1 जुलाई, 2012 को सेवा कर के दायरे में शामिल नहीं किया गया था जिसे स्वीकार किया जाता है। [पारस 72,73] [931-ई-एफ; 932-जी-एच]

आर. सी. मित्तर एंड संस, कलकत्ता बनाम सीआईटी, पश्चिम बंगाल,

कलकत्ता [1959] पूरक। 2 एस. सी. आर. 641-निर्भर।

डाल्को इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम। सतीश

प्रभाकर पाध्ये और ओआरएस। (2010) 4 एस. सी. सी. 378: [2010] 4 एस. सी. आर. 15; सी. आई. टी., कानपुर और अन्र। वी. केनरा बैंक (2018) 9 एससीसी 322: [2018] 7 एससीआर 866

संदर्भित किया गया।

2.3 धारा 65 बी (44) में निहित "सेवा" की परिभाषा बहुत व्यापक है, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा की गई कोई भी गतिविधि।

विचार के लिए एक और "। "व्यक्ति" को धारा 65 बी (37) में परिभाषित किया गया है।

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम काल्कुट्टा क्लब लिमिटेड

अन्य बातों के साथ-साथ, एक कंपनी, एक सोसायटी और प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो पूर्ववर्ती उपखंडों में से किसी में नहीं आता है,

साथ ही व्यक्तियों का कोई संघ या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो। जहां तक बिक्री कर का संबंध है, वर्तमान निर्णय में जो कहा गया है, वह सेवा के सभी चार क्षेत्रों पर लागू होता है। कर; जैसे, यदि एजेंसी, विश्वास और पारस्परिकता के सिद्धांत को सदस्यों के क्लबों द्वारा लागू किया जाना है, तो इसके द्वारा की जाने वाली गतिविधि होनी चाहिए

विचार के लिए एक व्यक्ति दूसरे के लिए। यह देखा गया है कि बिक्री कर से संबंधित निर्णय में, तथ्य यह है कि सदस्यों में ' क्लबों में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को विचार के लिए कोई बिक्री नहीं की जाती है, क्योंकि कोई व्यक्ति खुद को कुछ नहीं बेच सकता है। यह सभी चार पर लागू होगा जब "सेवा" की परिभाषा का अर्थ धारा 65 बी (44) के तहत भी लगाया जाता है। हालांकि, स्पष्टीकरण 3 को अब उपखंड (ए) के तहत शामिल किया गया है, जिसमें से गैर-निगमित

व्यक्तियों के संघ या निकाय और उनके सदस्यों को वैधानिक रूप से अलग-अलग व्यक्तियों के रूप में माना जाता है। [पारस 75-77] [933-B-E] 2.4 धारा 65 बी (44) में निहित "सेवा" की परिभाषा बहुत व्यापक है, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा की गई कोई भी गतिविधि।

विचार के लिए एक और "। धारा 65 बी (37) में 'व्यक्ति' को परिभाषित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, एक कंपनी, एक सोसायटी और प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो पूर्ववर्ती उपखंडों में से किसी में नहीं आता है, साथ ही व्यक्तियों का कोई संघ या व्यक्तियों का निकाय भी शामिल है, चाहे वह निगमित हो या न हो। जहां तक बिक्री कर का संबंध है, वर्तमान निर्णय में जो कहा गया है, वह सेवा कर के सभी चार पहलुओं पर लागू होता है; जैसे कि यदि अभिकरण, विश्वास और पारस्परिकता के सिद्धांत को सदस्यों के समूहों में लागू करना है, तो एक गतिविधि होनी चाहिए। विचार के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के लिए किया गया। बिक्री कर से संबंधित निर्णय में तथ्य यह है कि सदस्यों के क्लबों में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को विचार के लिए कोई बिक्री नहीं की जाती है, क्योंकि कोई व्यक्ति खुद को कुछ नहीं बेच सकता है। यह सभी चार पर लागू होगा जब धारा 65 बी (44) के तहत "सेवा" की परिभाषा का भी अर्थ लगाया जाना है। हालांकि, स्पष्टीकरण 3 को अब उपखंड (ए) के तहत शामिल किया गया है, जिसमें से समाज या व्यक्तियों के निकाय के रूप में अनिगमित और उनके सदस्यों को वैधानिक रूप से अलग-अलग व्यक्तियों के रूप में माना जाना है। वित्त अधिनियम, 2006 द्वारा जोड़ी गई धारा 65 का स्पष्टीकरण काफी हद तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 (29-ए) (ई) के समान है।

9] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इससे पहले इस फैसले में बिक्री कर के तहत, यह पहले ही माना जा चुका है कि "व्यक्तियों का निकाय" अभिव्यक्ति में एक निगमित कंपनी शामिल नहीं होगी, और न ही इसमें कोई अन्य रूप शामिल होगा।

निगमित सहकारी समिति सहित निगमन।

अभिव्यक्ति "व्यक्ति" या अभिव्यक्ति "व्यक्तियों या व्यक्तियों के निकायों का एक संघ, चाहे वह निगमित हो या न हो" का उपयोग करने के लिए, "व्यक्तियों का एक निकाय" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है जब "एक अनिगमित संघ" के साथ जोड़ा जाता है। व्याख्या में आने वाली अभिव्यक्ति "व्यक्तियों का निकाय" धारा 65 और धारा 65 (25 ए) और (25 एए) में आने वाली धारा किसी निगमित कंपनी या निगमित सहकारी संस्था को संदर्भित नहीं करती है।

सभ्य समाज। जैसा कि एक्सप्लाना में एक ही अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है

3 2012 के बाद (धारा 65 बी (37) में निहित "व्यक्ति" की व्यापक परिभाषा के विपरीत), यह माना जा सकता है कि विधायिका ने सदस्यों के क्लबों पर कर नहीं लगाने की 2012 से पहले की योजना को जारी रखा है, जब वे निगमित रूप में होते हैं। अभिव्यक्ति "व्यक्तियों का निकाय" इसके भीतर ऐसे व्यक्ति शामिल हो सकते हैं जो एक सामान्य उद्देश्य के लिए एक साथ आते हैं, लेकिन संभवतः एक कंपनी या एक पंजीकृत सहकारी समिति शामिल नहीं हो सकती है। इस प्रकार, धारा 65 बी (44) का स्पष्टीकरण 3 (ए) उन सदस्यों के क्लबों पर लागू नहीं होता है जो निगमित हैं। अभिव्यक्ति "असंबद्ध" संघों में वे व्यक्ति शामिल होंगे जो पश्चिम बंगाल के कुछ राज्यों में एक साथ शामिल होते हैं।

काल्कुट्टा क्लब लिमिटेड

सामान्य उद्देश्य या सामान्य कार्रवाई। "जैसा भी मामला हो" अभिव्यक्ति व्यक्तियों के विभिन्न समूहों को संदर्भित करेगी जो या तो एक संघ के रूप में एक साथ जुड़े हुए हैं, या अन्यथा व्यक्तियों के एक समूह के रूप में जो किसी सामान्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक साथ आते हैं। इसे जिस भी तरह से देखा जाए, महत्वपूर्ण यह है कि अभिव्यक्ति "व्यक्तियों का निकाय" संभवतः इसके भीतर निगमित निकायों को शामिल नहीं कर सकता है। झारखंड उच्च न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय कानून के बारे में अपने विचार में सही हैं।

यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन के बाद। 2005 के बाद से, 1994 के वित्त अधिनियम का उद्देश्य सदस्यों के क्लबों पर निगमित रूप में सेवा कर लगाना नहीं है। इसलिए राजस्व की अपीलों को खारिज कर दिया जाता है। 2017 की रिट याचिका (सिविल) No.321 को प्रार्थना (i) के संदर्भ में अनुमति दी गई है। नतीजतन, निगमित सदस्यों के क्लबों से सेवा कर लगाने और एकत्र करने के लिए कारण दर्शाओ नोटिस, मांग नोटिस और अन्य कार्रवाई को अमान्य घोषित किया जाता है और कानून में इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। [पारस 75-85] [933-B-H; 934-A-H; 935-A-B]

उप वाणिज्यिक कर अधिकारी, सैदापेट और अन्र। वी. एनफील्ड इंडिया लिमिटेड, सहकारी कैंटीन लिमिटेड [1968] 2

एससीआर 421-समझाया गया।

कॉस्मोपॉलिटन क्लब बनाम। टी. एन. राज्य (2017) 5 एस. सी. सी. 635; फतेह मैदान क्लब बनाम। सीटीओ (2017) 5 एससीसी 638; गुजरात राज्य बनाम। रायपुर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड [1967] 1

एससीआर 618; बीएसएनएल बनाम। भारत संघ (2006) 3 एससीसी 1: [2006] 2 एस. सी. आर. 823; मद्रास राज्य बनाम। गन्नन

डंकरली एयर 1958 एससी 560: [1959] एस. सी. आर. 379; भारत संघ और अन्य। वी. मार्गदर्शी चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य। (2017) 13 एससीसी 806: [2017] 7 एससीआर 375; ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स एंड ओआरएस। वी. भारत संघ और ओआरएस। (2007) 7 एससीसी 527: [2007] 9 एस. सी. आर. 147; आई. सी. टी., बॉम्बे उत्तर, कच्छ और सौराष्ट्र, अहमदाबाद बनाम। इंदिरा बालकृष्ण [1960] 3 एससीआर 513

संदर्भित किया गया।

के. दामोदरसामी नायडू और ब्रदर्स। और ओआरएस। वी. टी. एन. और ए. एन. आर. राज्य (2000) 1 एस. सी. सी. 527; फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम। भारत संघ और ओआरएस। (2018) 2 एससीसी 97 [2017] 12 एससीआर 503

पर भरोसा किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त बनाम। वेस्टली एस्टेट कंपनी, लिमिटेड 1924 के. बी. 390; वाल्टर फ्लेचर बनाम। आयकर आयुक्त (1972) अपील मामले 414; ग्राफ वी. इवांस (1882) 8 क्यू. बी. 373; ट्रेबनॉग काम कर रहा है मेन्स क्लब एंड इंस्टीट्यूट लिमिटेड v. मैकडोनाल्ड (1940) 1 के. बी. 576; थॉमस (कर निरीक्षक) v. रिचर्ड इवांस & कं. लिमिटेड (1927) 1 के. बी. 33; करी बनाम। मीसा (1875) एल. आर. 10 ई. एक्स. 153-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2016] 6 एससीआर 748 संदर्भित किया गया है पैरा 1

[1970] 3 एससीआर 680 समझाया। पैरा 2

[1968] 2 एससीआर 421 समझाया। पैरा 5

प्रतिष्ठित

[1955] 1 एससीआर 876 पैरा 5

[1967] 1 एससीआर 618

संदर्भित किया गया है

पै

रा 6

[1979] 1 एससीआर 557

पै

रा 6

संदर्भित किया गया है

[2006] 2 एससीआर 823

पै

रा 13

संदर्भित किया गया है

[1959] एससीआर 379

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

[1969] 1 एससीआर 600

उस पर भरोसा करें

पै

रा 28

[2013] 1 एससीआर 267

उस पर भरोसा करें

पै

रा 30

[2018] 3 एससीआर 214

संदर्भित किया गया है

पै

रा 30

[1972] 2 एससीआर 937

पै

रा 39

संदर्भित किया गया है

(2000) 1 एस. सी. सी. 527

उस पर भरोसा करें

पै

रा 43

[2017] 12 एससीआर 503

उस पर भरोसा करें

पै

रा 44

[2017] 7 एससीआर 375

संदर्भित किया गया है

पै

रा 69

[2007] 9 एससीआर 147

संदर्भित किया गया है

पै

रा 70

[2010] 4 एससीआर 15

संदर्भित किया गया है

पै

रा 72

[2018] 7 एससीआर 866

संदर्भित किया गया है

पै

रा 72

[1959] 2 पूरक। एससीआर 641

उस पर भरोसा करें

पै

रा 72

[1960] 3 एससीआर 513

संदर्भित किया गया है

पश्चिम बंगाल का पैरा 83 राज्य v. काल्कुट्टा क्लब लिमिटेड

सिविल अपीलीय/मौलिक न्यायनिर्णयः सिविल अपील

2009 का No.4184

कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ के दिनांकित 01.02.2008 के निर्णय और आदेश से W.P.T.T. 2006 की संख्या 652

के साथ

सिविल अपील Nos.7497/2012,7773/2019,7771/2019,7772/2019,4377-4380/2015,5157/2015,7030/2015,8543/2015,7259/2015,7924/2015,7774/2019,7775/2019,7781/2019,7780/2019,7783/2019,7778/2019,

7779/2019 , 7777/2019 , 5946/2016 , 5949/2016 , 6593/2016 , 7366-7367 / 2016 , 626/2017 , 7776/2019 , 3584/2017 , 5087/2017 , 3819-3821 / 2017 , डब्ल्यू. पी. (ग) सं. 321/2017, सी. ए. सं. 10674/2017 , 11224/2017 , 72-73 / 2018 , 104/2019 , 7790/2019 , 5338/2019 , 5215-5217 / 2019 और 7789/2019। के. एम. नटराज, ए. एस. जी., ध्रुव अग्रवाल, श्याम दीवान, एस. के. बागरिया, अरविंद पी. दातार, देवांग नानावती, राणा मुखर्जी, नकुल दीवान,

जयदीप गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री मधुमिता भट्टाचार्जी, सुश्री श्रीजा चौधरी, सुश्री निशा बागची, सुश्री सुनीता रानी सिंह, डी. एल. चिदानंद, सुश्री पूजा शर्मा, शरत नांबियार, बी. कृष्ण प्रसाद, बी. वी. बलराम दास, अमित ठक्कर, महेश अग्रवाल, शमिक साजनवाला, अभिनव अग्रवाल, उदयादित्य बनर्जी, योजना मेहरा, ई. सी. अग्रवाल, नीरव मैनकर, सुश्री धवानी मैनकर, अनिल कुमार गौतम, अमर दवे, अजीतसिंह जडेजा, प्रद्युम्न गोहिल, सुश्री तरुणा सिंह गोहिल, विकास सिंह,

लक्ष्मीकुमारन, वी. लक्ष्मीकुमारन, करण सचदेव, आदित्य भट्टाचार्य, सुश्री अपेक्षा मेहता, सुश्री इशिता माथुर, सुश्री मौनिका कस्तूरी, पुनीत दत्त त्यागी, एम. पी. देवनाथ, पी. के. साहू, प्रशांत शुक्ला, केदार नाथ त्रिपाठी, जे. के. मित्तल, सुश्री वंदना मित्तल, प्रवीण स्वरूप, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था आर. एफ. नरीमन, जे.

2009 का सी. ए. No.4184

1. यह अपील एक डिवीजन बेंच द्वारा एक संदर्भ आदेश से उत्पन्न होती है, जो पश्चिम बंगाल राज्य बनाम में रिपोर्ट की गई है। कलकत्ता क्लबटेड (2017) 5 एससीसी 356। 2009 की सिविल अपील सं. 4184 के तथ्य और उक्त संदर्भ आदेश में निम्नलिखित तथ्य दिए गए हैं:

" 2. जिन तथ्यों को बताना आवश्यक है वे हैं सहायक

वाणिज्यिक कर आयुक्त ने नोटिस जारी किया प्रत्यर्थी क्लब निर्धारिती ने इसे अवगत कराया कि वह ऐसा करने में विफल रहा है

आई. डी. 1 समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान स्थायी सदस्यों को खाद्य और पेय पदार्थों की बिक्री पर बिक्री कर का भुगतान। नोटिस की प्राप्ति के बाद, प्रतिवादी क्लब ने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और मूल्यांकन प्राधिकरण ने प्रतिवादी क्लब को 18-10-2002 पर उसके सामने उपस्थित होने की आवश्यकता थी। न्यायाधिकरण के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के लिए भेजे गए नोटिस और संचार पर प्रत्यर्थी द्वारा यह घोषणा करने का अनुरोध करते हुए हमला किया गया कि वह अधिनियम के अर्थ के भीतर एक विक्रेता नहीं है क्योंकि क्लब द्वारा भोजन, जलपान, पेय आदि के रूप में किसी भी सामान की बिक्री नहीं की जाती है।

सदस्य और इसलिए, यह अधिनियम के तहत बिक्री कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। न्यायाधिकरण के समक्ष इसे रद्द करने के लिए एक प्रार्थना भी की गई थी

आपूर्ति पर कर लगाने की धमकी देने वाली राजस्व की कार्रवाई

स्थायी सदस्यों को भोजन।

सदस्यों ने पूरी तरह से और इस रुख को आगे बढ़ाया कि भोजन, पेय या पेय पदार्थों आदि की आपूर्ति के लिए कोई विचार पारित नहीं किया गया था और सदस्यों द्वारा केवल राशि की प्रतिपूर्ति की गई थी और इसलिए कोई बिक्री कर नहीं लगाया जा सकता था।

4. न्यायाधिकरण ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 (29-ए), अधिनियम की धारा 2 (30), हिंदुस्तान क्लब लिमिटेड बनाम में अपने पहले के निर्णय का उल्लेख किया। सी. सी. टी. [हिंदुस्तान क्लब लिमिटेड बनाम। सी. सी. टी., (1995) 98 एस. टी. सी. 347 (ट्राई)] ने ऑटोमोबाइल एसोसिएशन में दिए गए अधिकार को प्रतिष्ठित किया। पूर्वी भारत बनाम। डब्ल्यू. बी. राज्य [ऑटोमोबाइल एसोसिएशन।

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम कलकत्ता क्लब लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

पूर्वी भारत बनाम। डब्ल्यू. बी. राज्य, (2017) 11 एस. सी. सी. 811: (2002) 40 एस. टी. ए. 154 (एस. सी.)] और, अंत में, निम्नलिखित रूप में राय दीः

" हमारे समक्ष प्रस्तुत प्रासंगिक तथ्य और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखते हुए हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता क्लबों द्वारा अपने स्थायी सदस्यों को भोजन, पेय और जलपान की आपूर्ति को "मानित बिक्री" के रूप में नहीं माना जा सकता है।

1994 के अधिनियम की धारा 2 (30) के अर्थ के भीतर। हम पाते हैं कि स्थायी सदस्यों द्वारा किए गए भुगतान नहीं हैं।

विचार और सदस्यों के क्लबों के मामले में आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता (स्थायी सदस्य) एक ही व्यक्ति हैं और विचार का कोई आदान-प्रदान नहीं होता है।

इस दृष्टिकोण के कारण, न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी क्लब के तर्क को स्वीकार कर लिया और राय दी कि वह अधिनियम के तहत कर लगाने के योग्य नहीं है।

5. न्यायाधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश से असंतुष्ट होने के कारण, राजस्व ने एक रिट याचिका दायर की और उच्च न्यायालय ने राय दी कि निर्णय ऑटोमोबाइल एसोसिएशन में दिया गया है। पूर्वी भारत का [ऑटोमोबाइल एसोसिएशन। पूर्वी भारत बनाम। डब्ल्यू. बी. राज्य, (2017) 11 एस. सी. सी. 811 (2002) 40 एस. टी. ए. 154 (एस. सी.)], एक उदाहरण नहीं था और यह माना गया कि संवैधानिक संशोधन के साथ-साथ अधिनियम के तहत परिभाषा के प्रावधानों को पढ़ने पर, यह स्पष्ट था कि खाद्य, पेय और पेय पदार्थों की आपूर्ति, या तो नकद या अन्यथा, कर के लिए प्रत्यक्ष करने योग्य बनाने के लिए, विचार के भुगतान पर की जानी थी, लेकिन हाथ में मामले में, पेय और पेय पदार्थों को क्लब द्वारा सदस्यों के एजेंट के रूप में बाजार से खरीदा गया था। उच्च न्यायालय ने आगे फैसला सुनाया कि सदस्य सामूहिक रूप से वास्तविक जीवन थे और क्लब केवल एक अधिरचना थी और इसलिए, केवल बिलों की प्रस्तुति और परिणामस्वरूप उसका भुगतान न करने का तथ्य, क्लब की सदस्यता को समाप्त करना, क्लब को बिक्री कर के दायरे में नहीं लाया। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि प्राप्त करने वाले तथ्यात्मक मैट्रिक्स में पारस्परिकता के तत्व को मिटा नहीं दिया गया था। उपरोक्त दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति ने उच्च न्यायालय को न्यायाधिकरण द्वारा प्रस्तुत राय को सहमति देने के लिए राजी किया।

XXX XXX XXX

9. शुरुआत में ही हम कुछ निर्विवाद तथ्यों का उल्लेख कर सकते हैं। यह रहस्य से परे है कि प्रतिवादी [2019] 15 एस. सी. आर. के तहत एक निगमित इकाई है।

कंपनी अधिनियम, 1956। जब प्रत्यर्थी गैर-सदस्यों या स्थायी सदस्यों के साथ आने वाले मेहमानों को उत्पाद बेचता है तो निर्धारिती शुल्क लेता है और बिक्री कर का भुगतान करता है। लेकिन जब चालान

स्थायी के पक्ष में की गई आपूर्ति के संबंध में उठाया जाता है

सदस्यों, कोई बिक्री कर एकत्र नहीं किया जाता है।

2. बंगाल बिक्री कर अधिनियम, 1994 की धारा 2 (30) (इसके बाद "वेस्ट अल सेल्स टैक्स एक्ट" के रूप में संदर्भित) और न्यायालय के संविधान के अनुच्छेद 366 (29-ए) में "बिक्री" की परिभाषा निर्धारित करने के बाद सी. टी. ओ. यू. एन. जी. मेन्स इंडियन एसोसिएशन (1970) 1 एस. सी. सी. 462 में संविधान पीठ के फैसले को निम्नानुसार संदर्भित किया गयाः

" 14. इससे पहले सी. टी. ओ. बनाम में संविधान पीठ का निर्णय। यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन। [सीटीओ वी. यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन। , (1970) 1 एस. सी. सी. 462] अपने सदस्यों को जलपान की आपूर्ति होने पर बिक्री कर का भुगतान करने के लिए एक क्लब के दायित्व से निपटने के लिए, न्यायालय ने इस प्रकार निष्कर्ष निकाला थाः (एससीसी पीपी। 467-68 , पैरा 11) " 11. वर्तमान मामले में आवश्यक सवाल यह है कि क्या प्रत्येक क्लब द्वारा अपने सदस्यों को विभिन्न तैयारी की आपूर्ति में बिक्री के अर्थ के भीतर बिक्री का लेनदेन शामिल है।

माल अधिनियम, 1930। राज्य विधानमंडल सक्षम होने के कारण

केवल संविधान की अनुसूची VII सूची II प्रविष्टि 54 के तहत "माल की बिक्री" अभिव्यक्ति का वही अर्थ है जो उपरोक्त अधिनियम में है। इस प्रकार अधिनियम के स्पष्टीकरण I के साथ पठित धारा 2 (एन) में निहित परिभाषा के बावजूद यदि एक से दूसरे में संपत्ति का हस्तांतरण नहीं होता है तो ऐसी कोई बिक्री नहीं है जो कर के योग्य हो। यदि क्लब भले ही एक अलग कानूनी इकाई केवल अपने सदस्यों के लिए एक एजेंट के रूप में कार्य कर रही हो, उन्हें विभिन्न तैयारी की आपूर्ति के मामले में कोई बिक्री शामिल नहीं होगी क्योंकि हस्तांतरण का तत्व पूरी तरह से अनुपस्थित होगा। इस स्थिति को पिछले निर्णय में भी सही माना गया है।

इस न्यायालय से। ”

3. उसके बाद के सिद्धांत पर कई निर्णयों का उल्लेख करते हुए

अन्यथा, न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 23. उपरोक्त स्थिति और पारस्परिक चिंताओं के कानून के आलोक में, हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के उपखंड (ई) से खंड (29-ए) के प्रभाव और प्रभाव का पता लगाना होगा, जैसा कि 1982 में 46 वें संशोधन द्वारा अधिनियमित किया गया था और पश्चिम बंगाल बनाम लागू राज्य।

और बिक्री या वैट कर पर लागू होता है। उक्त खंड एक अनिगमित संघ या निकाय द्वारा वस्तुओं की आपूर्ति पर कर को संदर्भित करता है।

लोग। सवाल यह होगा कि क्या "व्यक्तियों का निकाय" अभिव्यक्ति में कोई निगमित कंपनी, समाज,

संगठन आदि। दूसरा मुद्दा यह है कि क्या शामिल किया जाएगा और इसे एक अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय द्वारा अपने सदस्यों को नकद, आस्थगित भुगतान या मूल्यवान प्रतिफल के माध्यम से माल की आपूर्ति से संबंधित लेनदेन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस तरह

लेन-देन को माना जाता है और बिक्री माना जाता है। फतेह मैदान क्लब में न्यायालय के निर्णय [फतेह मैदान क्लब बनाम। सीटीओ, (2017) 5 एससीसी 638: (2008) 12 वीएसटी 598 (एससी)] और कॉस्मोपॉलिटन क्लब [कॉस्मोपॉलिटन क्लब बनाम। टी. एन. राज्य, (2017) 5 एस. सी. सी. 635: (2009) 19 उस संदर्भ में वी. एस. टी. 456 (एस. सी.)] ने एक अंतर खींचा है जब कोई क्लब अपने सदस्यों के एजेंट के रूप में कार्य करता है और जब माल में संपत्ति बेची जाती है यानी खाद्य और पेय में संपत्ति सदस्यों को दी जाती है। उक्त अंतर, यह हमारे लिए स्पष्ट है, दोनों पीठों द्वारा स्वीकार किया गया है। हालाँकि, निर्णय नहीं लेते हैं

स्पष्ट करें और स्पष्ट रूप से व्याख्या करें, जब क्लब को सदस्यों के एक एजेंट के रूप में कार्य करने के रूप में कहा जा सकता है और इसलिए, इसे एक पक्ष के रूप में नहीं माना जाएगा जिसने माल बेचा था। एजेंसी का नियम आवश्यक रूप से और संभवतः किसी तीसरे पक्ष को संदर्भित करता है जिनसे सदस्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाले क्लब द्वारा उक्त सदस्यों को सामान यानी भोजन और पेय प्राप्त किए गए थे और प्रदान किए गए थे। ये महत्वपूर्ण और प्रासंगिक पहलू हैं जिन्हें स्पष्ट और स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि "सदस्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाली" उपरोक्त अवधारणाओं की सराहना करने और समझने में कोई अस्पष्टता न हो या जब सदस्यों को बेचे गए माल में संपत्ति हस्तांतरित की जाती है।

4. डिवीजन बेंच ने तब 3 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निर्धारित किया

ईआर बेंच निम्नानुसार हैः

" 30.1 . (i) क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 (29-ए) में 46 वें संशोधन के बाद भी पारस्परिकता का सिद्धांत निगमित क्लबों या किसी भी क्लब पर लागू होता है?

30.2 . ((ii) क्या यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन में इस न्यायालय का निर्णय। [सीटीओ वी. यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन। , (1970) 1 एस. सी. सी. 462] अभी भी भारत के संविधान के 46 वें संशोधन के बाद भी इस क्षेत्र में है; और क्या कॉस्मोपॉलिटन [2019] 15 एस. सी. आर. में निर्णय।

कानून का सही सिद्धांत?

30.3 . (iii) क्या संविधान के 46 वें संशोधन में, काल्पनिक मानते हुए यह प्रावधान किया गया है कि निगमित क्लबों द्वारा अपने स्थायी सदस्यों को खाद्य और पेय पदार्थों का प्रावधान बिक्री का गठन करता है जिससे इसे बिक्री कर के लिए उत्तरदायी माना जाता है?

5. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राकेश द्विवेदी ने 'वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने की राज्यों की शक्तियों से जुड़ी कुछ समस्याओं पर और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (मई, 1974)' (इसके बाद '61 वीं विधि आयोग रिपोर्ट' के रूप में संदर्भित), जिसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 (29-ए) के अधिनियमन से पहले किया गया था; संविधान (छियालिसवां संशोधन) विधेयक, 1981 (जिसे संविधान (छियालिसवां संशोधन) अधिनियम, 1982 के रूप में अधिनियमित किया गया है) (जिसे इसके बाद 'ओ. बी. आई. का वक्तव्य' के रूप में संदर्भित किया गया है) का उल्लेख किया। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, 366 (29-ए) (ई) को एजेंसी/ट्रस्ट या ट्रस्ट के सिद्धांत को समाप्त करने के लिए जोड़ा गया था। पारस्परिकता, जहाँ तक यह सदस्यों के क्लबों पर लागू होती है और इसलिए, यंग मेन्स इंडियन में निर्णय के आधार को समाप्त करने की मांग की गई

एसोसिएशन (ऊपर)। उन्होंने तर्क दिया कि 366 (29-ए) (ई) की भाषा माल में संपत्ति के हस्तांतरण को समाप्त करती है और विशेष रूप से अलग थी।

366 (29-ए) (ए) और (बी) से शब्दबद्ध, जो इस तरह के हस्तांतरण को संदर्भित करता है। उनके अनुसार, उपखंड (ई) में "अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय" अभिव्यक्ति को अलग-अलग पढ़ा जाना चाहिए, और इस प्रकार पढ़ा जाए तो इसमें निगमित व्यक्ति जैसे कंपनियां, सहकारी समितियां आदि शामिल होंगे। उनके अनुसार, संविधान के एक प्रावधान का व्यापक रूप से और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के अनुरूप अर्थ लगाना महत्वपूर्ण है, जो कि सभी रूपों में पारस्परिकता के सिद्धांत को समाप्त करने के लिए है। उनके अनुसार, यह मानते हुए भी कि 366 (29-ए) (ई) के तहत "व्यक्तियों के समूह" में निगमित व्यक्ति शामिल नहीं हैं, 366 (29-ए) (एफ) अपने व्यापक दायरे में भोजन या किसी अन्य वस्तु की आपूर्ति को लेगा।

मानव उपभोग या पेय के लिए लेख, यह देखते हुए कि उपखंड (च) पश्चिम बंगाल v का राज्य है।

निगमित या असंबद्ध निकायों को संदर्भित नहीं करता है, और "किसी भी अन्य तरीके से" वस्तुओं की आपूर्ति में एक कर लेता है, जो अत्यधिक व्यापक महत्व के शब्द हैं। इसके बाद उन्होंने हमें पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिनियम के माध्यम से ले जाया और धारा 2 (10) में "विक्रेता" और धारा 2 (30) में "बिक्री" की परिभाषा का उल्लेख किया, और फिर उपरोक्त अधिनियम की धारा 9 को आरोपित किया। उनके अनुसार, "विक्रेता" की परिभाषा और विशेष रूप से उसके स्पष्टीकरण (1) को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि स्पष्टीकरण वास्तव में एक स्पष्टीकरण नहीं है।

शास्त्रीय अर्थ में, लेकिन सदस्यों के क्लबों में शामिल होना चाहते हैं जो अपने सदस्यों को सामान बेचते हैं। इस प्रकार, व्याख्या "विक्रेता" की परिभाषा के मुख्य भाग से अलग है, जिसमें एक व्यक्ति को व्यवसाय को जारी रखने की आवश्यकता होती है।

वस्तुओं को बेचना और खरीदना। इसके बाद उन्होंने उप वाणिज्यिक कर अधिकारी, सैदापेट और अन्न पर बहुत अधिक भरोसा किया। वी. एनफील्ड इंडिया लिमिटेड, को-ऑपरेटिव कैंटीन लिमिटेड (1968) 2 एस. सी. आर. 421 इस प्रस्ताव के लिए कि पारस्परिकता के सिद्धांत से निपटने वाले अंग्रेजी मामलों का कर कानून के संदर्भ में कोई अनुप्रयोग नहीं था, क्योंकि ये निर्णय आपराधिक दायित्व से संबंधित थे। उन्होंने यह दिखाने के लिए भी इस फैसले पर दृढ़ता से भरोसा किया कि लाभ-उद्देश्य पूरी तरह से अनावश्यक है जहां एक क्लब द्वारा अपने सदस्यों को माल की आपूर्ति, उस मामले में मद्रास सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1959 के तहत "बिक्री" की परिभाषा के भीतर आती है। उन्होंने अंतर्देशीय राजस्व आयुक्तों v. वेस्टली एस्टेट्स कंपनी, लिमिटेड

अपील मामले 414, यह कहते हुए कि पारस्परिकता सिद्धांत सार्वभौमिक अनुप्रयोग का नहीं था, भले ही यह सदस्यों के क्लबों पर लागू हो, और किसी मामले के तथ्यों में यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि पारस्परिकता का संबंध कब समाप्त होता है और व्यापार कब शुरू होता है। किसी भी मामले में, विद्वान वरिष्ठ के अनुसार अधिवक्ता, पारस्परिकता के सिद्धांत का कोई उपयोग नहीं होता है जब एक सदस्य क्लब कॉर्पोरेट रूप में होता है, जैसा कि बाचा एफ. गुज़दार बनाम से स्पष्ट है। आयकर आयुक्त, बॉम्बे (1955) 1 एस. सी. आर. 876, जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक शेयरधारक किसी कंपनी की संपत्ति का मालिक नहीं है।

और इसलिए, उपरोक्त सिद्धांत संभवतः कॉर्पोरेट रूप में सदस्यों के क्लबों पर लागू नहीं हो सकता है। उनके अनुसार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि

कंपनी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत है (जिसे इसके बाद कंपनी अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है), जैसा कि वर्तमान मामले में अपील में मामला है।

9] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. श्री जयदीप गुप्ता, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिनियम की धारा 2 (5) का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि सबसे पहले

उस अधिनियम के प्रावधानों के भीतर आने के लिए आवश्यक है कि एक लाभ का उद्देश्य होना चाहिए, जैसा कि परिभाषित किया गया है, और चूंकि सदस्यों के क्लबों में कोई नहीं है, इसलिए आरोप अनुभाग इन मामलों के तथ्यों पर आकर्षित नहीं होगा। उन्होंने गुजरात राज्य बनाम पर दृढ़ता से भरोसा किया। रायपुर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी

लिमिटेड (1967) 1 एस. सी. आर. 618, इस प्रस्ताव के लिए कि "लाभ उद्देश्य" अभिव्यक्ति अधिशेष किए जाने का उल्लेख नहीं करती है, बल्कि केवल बिक्री लेनदेन से पैसा बनाने के उद्देश्य को संदर्भित करती है। फिर उन्होंने धारा 25 का उल्लेख किया।

कंपनी अधिनियम और, विशेष रूप से, धारा 25 (1) (बी), जिसमें कहा गया है कि एक कंपनी धारा 25 के तहत केवल तभी पंजीकृत है जब वह अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देने में अपने लाभ और अन्य आय को लागू करने का इरादा रखती है, और भुगतान को प्रतिबंधित करती है।

इसके सदस्यों को लाभांश। इस कारण से, बाचा एफ. गुज़दार (ऊपर) का अनुपात संभवतः अनुभाग के रूप में सदस्यों के क्लबों पर लागू नहीं हो सकता है। 25 कंपनियाँ। इसके बाद उन्होंने उद्देश्यों और कारणों के कथन का उल्लेख किया, जिसमें उनके अनुसार यह स्पष्ट किया गया था कि अनुच्छेद 366 (29-ए) (ई) में केवल अनिगमित क्लबों या व्यक्तियों के संघों का उल्लेख किया गया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि किसी भी परिस्थिति में किसी कंपनी को "व्यक्तियों के समूह" के भीतर नहीं रखा जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 366 (29-ए) (ई) किसी क्लब द्वारा अपने सदस्यों को भोजन या जलपान की बिक्री पर लागू नहीं होगा। उनके अनुसार, संविधान (छियालिसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1982 ("इसके बाद" 46 वाँ संशोधन "के रूप में संदर्भित), जिसने संविधान के अनुच्छेद 366 में खंड (29-ए) को शामिल किया, ने यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन (उपरोक्त) को समाप्त नहीं किया है, क्योंकि संभवतः एक व्यक्ति द्वारा अपने लिए वस्तुओं की आपूर्ति नहीं हो सकती है; और इसलिए, एजेंसी/विश्वास/पारस्परिकता का सिद्धांत पहले की तरह जारी है। उन्होंने परिभाषा का उल्लेख किया

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2 (डी) में "विचार" का, जिसमें उनके अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि विचार एक से आना चाहिए।

एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और दो खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में, जैसा कि मामले में

यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन (ऊपर), अनुच्छेद 366 (29-ए) का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। जब 366 (29-ए) (एफ) के आवेदन की बात आई, तो श्री गुप्ता ने कहा कि यह स्पष्ट है कि (एफ) को एक बहुत ही अलग उद्देश्य के लिए अधिनियमित किया गया था, अर्थात्, उत्तरी भारत केटरर्स के फैसले को खत्म करने के लिए। (इंडिया) लिमिटेड बनाम। दिल्ली के उपराज्यपाल (1978) 4 एस. सी. सी. 36, जो

रेस्तरां में सेवन किए जा रहे भोजन या पेय के बिल में निहित सेवा तत्व से संबंधित है। "किसी भी अन्य तरीके से" अभिव्यक्ति केवल इस बात पर जोर देती है कि जहां माल की आपूर्ति की जाती है, पश्चिम बंगाल राज्य v.

कलकत्ता क्लब लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]रेस्तरां में, तब सेवा तत्व अनुच्छेद 366 (29-ए) (एफ) के तहत राज्य को भोजन आदि पर कर लगाने से नहीं रोकेगा। किसी भी उपखंड (ई) पर वापस जाने में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि यह स्पष्ट है कि "अनिगमित संघ" अभिव्यक्ति "व्यक्तियों के निकाय" के साथ सामान्य शब्द के रूप में होनी चाहिए और इसलिए पढ़ा नहीं जाएगा।

कॉर्पोरेट रूप में सदस्यों के क्लब।

7. दोनों की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सुनने के बाद पहले प्रासंगिक संवैधानिक और वैधानिक व्यवस्था निर्धारित करना महत्वपूर्ण है।

सायंस। अनुच्छेद 366 (29-ए) इस प्रकार हैः

" 366. (29 - (क) "वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर"

इसमें शामिल हैं

मूल्यवान विचार; (ख) माल में संपत्ति के हस्तांतरण पर कर (चाहे वह माल के रूप में हो)

या किसी अन्य रूप में) किसी कार्य के निष्पादन में शामिल

अनुबंध; (ग) किराया-खरीद या किसी भी प्रणाली पर माल की डिलीवरी पर कर।

किश्तों में भुगतान;

(घ) नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी भी उद्देश्य (चाहे वह किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए हो या नहीं) के लिए किसी भी माल का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण पर कर;

(ई) किसी भी अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय द्वारा उसके किसी सदस्य को नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल की आपूर्ति पर कर; (च) किसी सेवा के माध्यम से या उसके भाग के रूप में या किसी अन्य तरीके से, जो भी हो, खाद्य या मानव उपभोग के लिए कोई अन्य वस्तु या कोई पेय (चाहे वह हो या न हो) की आपूर्ति पर कर।

मादक), जहां ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद के लिए है, स्थगित

भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल, और किसी माल के ऐसे हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति को उस व्यक्ति द्वारा उन वस्तुओं की बिक्री माना जाएगा जो हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति कर रहा है और उस व्यक्ति द्वारा उन वस्तुओं की खरीद कर रहा है।

जिनका ऐसा हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति की जाती है; "[2019] 15 एस. सी. आर.

8. पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिनियम की प्रासंगिक धाराएँ नीचे दी गई हैं:

XXX XXX XXX (5) " व्यवसाय में शामिल हैं

(क) किसी भी व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, कार्यों का निष्पादन

व्यापार, वाणिज्य, निर्माण या कार्य अनुबंध के निष्पादन की प्रकृति में अनुबंध या कोई साहसिक कार्य या संस्था, चाहे वह व्यापार, वाणिज्य, कार्य अनुबंध का निष्पादन, साहसिक कार्य या संस्था उद्देश्य के साथ की जाती है या नहीं।

लाभ अर्जित करना और क्या ऐसे व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, कार्यों के निष्पादन से कोई लाभ प्राप्त होता है या नहीं अनुबंध, साहस या चिंता; और

(ख) ऐसे व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, कार्यों के निष्पादन के संबंध में या सहायक या आनुषंगिक कोई लेनदेन।

अनुबंध, साहस या चिंता;

धारा 15 के तहत बिक्री, और इसमें शामिल हैं (क) जूट-मिल या जूट के मालवाहक का अधिभोगकर्ता;

(ख) सरकार, एक स्थानीय प्राधिकरण, एक वैधानिक निकाय, एक न्यास या

अन्य निगमित निकाय जो, या किसी व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा नियुक्त परिसमापक या रिसीवर, जो इस खंड में परिभाषित एक व्यापारी है, जो व्यापार के क्रम में हो या न हो, सीधे या अन्यथा वस्तुओं को नकद या आस्थगित भुगतान या कमीशन के लिए बेचता है, आपूर्ति करता है या वितरित करता है, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान विचार।

व्याख्या I: एक सहकारी समिति या एक क्लब या कोई संघ

जो अपने सदस्यों को माल बेचता है, वह एक व्यापारी होता है।

व्याख्या II: एक कारक, एक दलाल, एक कमीशन एजेंट, एक डेल क्रेडिट एजेंट, एक नीलामीकर्ता, माल को संभालने या परिवहन करने या माल के स्वामित्व के दस्तावेज को संभालने के लिए एक एजेंट या पश्चिम बंगाल का कोई अन्य राज्य।

वाणिज्यिक अभिकर्ता, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए, और चाहे वह उसी विवरण का हो जैसा कि इसमें पहले उल्लेख किया गया है या नहीं, जो माल बेचने का व्यवसाय करता है और जिसके पास प्रथागत रूप से है व्यवसाय का पाठ्यक्रम, प्रधानाचार्यों से संबंधित वस्तुओं को बेचने का अधिकार, एक व्यापारी है;

XXX XXX XXX

(30) " "बिक्री" का अर्थ है नकदी, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल में संपत्ति का कोई हस्तांतरण, और इसमें शामिल हैं (क) किसी अनुबंध के अनुसरण के अलावा, किसी भी माल में संपत्ति का नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए कोई हस्तांतरण;

(ख) माल की कोई भी डिलीवरी किराए पर-खरीद या किसी भी प्रणाली पर

किश्तों में भुगतान;

(ग) नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी भी उद्देश्य (चाहे वह किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए हो या नहीं) के लिए किसी भी माल का उपयोग करने के अधिकार का कोई हस्तांतरण; (घ) खाद्य या मानव उपभोग के लिए कोई अन्य वस्तु या कोई पेय (चाहे मादक हो या न हो) होने वाली वस्तुओं की किसी भी सेवा के माध्यम से या उसके हिस्से के रूप में या किसी अन्य तरीके से कोई आपूर्ति, जहां ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए है;

(ङ) किसी भी अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय द्वारा उसके किसी सदस्य को नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए वस्तुओं की कोई आपूर्ति, और किसी भी माल के ऐसे हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति को व्यक्ति या अनिगमित द्वारा उन वस्तुओं की बिक्री माना जाएगा।

जिस व्यक्ति को ऐसा हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति की जाती है, उसके द्वारा उन वस्तुओं का हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति और खरीद करने वाले व्यक्तियों का संघ या निकाय, लेकिन इसमें बंधक, परिकल्पना, शुल्क या गिरवी शामिल नहीं है। व्याख्याः यदि माल पश्चिम बंगाल के भीतर है तो बिक्री पश्चिम बंगाल में हुई मानी जाएगी -

(क) विशिष्ट या सुनिश्चित माल के मामले में,

बिक्री का अनुबंध किया जाता है; और [2019] 15 एस. सी. आर.

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोर्ट

अप्रमाणित या भावी वस्तुओं के मामले में, विक्रेता द्वारा बिक्री के अनुबंध के लिए उनके विनियोग के समय, क्या इस तरह के विनियोग के लिए खरीदार की सहमति पूर्व में है या

विनियोग के बादः

बशर्ते कि जहां बिक्री का एक ही अनुबंध हो पश्चिम बंगाल के साथ-साथ पश्चिम बंगाल के बाहर स्थित वस्तुओं के संबंध में, इस स्पष्टीकरण के प्रावधान इस तरह लागू होंगे जैसे कि बिक्री का एक अलग अनुबंध था

पश्चिम बंगाल में स्थित माल।

XXX XXX

इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, दिन से प्रभावी - प्रत्येक विक्रेता -

जो नियत दिन से तुरंत पहले उत्तरदायी रहा हो

बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, 1941 (1941 का बंगाल अधिनियम VI) की धारा 4 या धारा 8 के तहत कर का भुगतान करना, और जो इस तरह के मामलों में इस तरह से उत्तरदायी बना रहता।

उस अधिनियम के तहत नियत दिन यह अधिनियम लागू नहीं हुआ था, या

) जिसका एक वर्ष के दौरान सकल कारोबार पहले से अधिक है

जिस दिन बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, 1941 के तहत उस पर लागू होने वाली कर योग्य राशि

नियत दिन से पहले,

ओ पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिनियम, 1954 (1954 का पश्चिम बंगाल अधिनियम IV) के तहत पंजीकृत प्रत्येक व्यापारी, जिसके पास उस अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र है।

नियत दिन के ठीक पहले का दिन, और जिसके लिए खंड (क) लागू नहीं होता है, और

पश्चिम बंगाल मोटर स्पिरिट बिक्री कर अधिनियम, 1974 (1974 का पश्चिम बंगाल अधिनियम 11) के तहत पंजीकृत प्रत्येक विक्रेता, जिसके पास नियत दिन से ठीक पहले उस अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र है, और जिसके लिए खंड (ए) या खंड (बी) लागू नहीं होता है,

1 इस अधिनियम के तहत धारा 15 में निर्दिष्ट ई के अलावा सभी बिक्री पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो पश्चिम बंगाल के नियुक्त राज्य पर या उसके बाद प्रभावी होगी।

(2) प्रत्येक विक्रेता जिसे उप-धारा (1) लागू नहीं होती है, यदि -

से गणना की गई बिक्री का उसका सकल कारोबार किसी भी वर्ष का प्रारंभ ऐसे वर्ष के भीतर किसी भी समय कर योग्य मात्रा से अधिक हो जाता है, धारा 15 में निर्दिष्ट बिक्री के अलावा सभी बिक्री पर इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो उस दिन के तुरंत बाद की तारीख को और उससे प्रभावी होगी जिस दिन बिक्री का ऐसा सकल कारोबार पहले से अधिक हो जाता है।

कर योग्य मात्रा।

(3) इस अधिनियम में "कर योग्य मात्रा" का अर्थ है

(क) किसी भी विक्रेता के संबंध में जो बिक्री के लिए किसी भी वस्तु का आयात करता है,

अनुसूची IV में निर्दिष्ट लोगों के अलावा, पश्चिम बंगाल में,

30,000 रुपया; या

(ग) किसी भी विक्रेता के संबंध में जो अनुसूची IV [* * *] में निर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा किसी भी वस्तु का निर्माण या उत्पादन करता है, या (घ) [* * *]

(ई) किसी अन्य विक्रेता के संबंध में, 5,00,000 रुपये, को छोड़कर

अनुसूची IV में निर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री का कारोबार।

(4) प्रत्येक विक्रेता जो उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो गया है, वह प्रत्येक अवधि के दौरान लगातार तीन वर्षों की समाप्ति तक ऐसा उत्तरदायी बना रहेगा।

जिसमें से उसका बिक्री का सकल कारोबार कर योग्य मात्रा से अधिक होने में विफल रहा है, और ऐसी समाप्ति की तारीख के बाद ऐसी अतिरिक्त अवधि जो निर्धारित की जाए, और इस बाद की अवधि की समाप्ति पर उप-धारा (1) के तहत कर का भुगतान करने का उसका दायित्व या

उप-धारा (2) समाप्त हो जाएगी।

व्याख्याः उप-धारा (4) के प्रयोजनों के लिए, उप-धारा (1) के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होने वाले व्यापारी के संबंध में लगातार तीन वर्षों की अवधि की गणना करने में, वर्ष या वे वर्ष जो नियत दिन से पहले समाप्त हो गए थे, जिनके दौरान या जिनमें से प्रत्येक के दौरान सकल कारोबार बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, 1941 में निर्दिष्ट कर योग्य मात्रा से अधिक नहीं था, शामिल किए जाएंगे।

(5) प्रत्येक व्यापारी जिसका उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत कर का भुगतान करने का दायित्व उप-धारा (4) के तहत समाप्त हो गया है, यदि उसका [2019] 15 एस. सी. आर. है।

किसी भी वर्ष की शुरुआत से गणना की गई बिक्री का सकल कारोबार फिर से ऐसे वर्ष के भीतर किसी भी समय कर योग्य मात्रा से अधिक हो जाता है, उन बिक्री के अलावा सभी बिक्री पर इस तरह के कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

धारा 15 में निर्दिष्ट, उस दिन के तुरंत बाद की तारीख को और उससे प्रभावी है जिस दिन बिक्री का ऐसा सकल कारोबार होता है।

पहले की तुलना में कर योग्य मात्रा से अधिक है।

आयुक्त, ऐसी जांच करने के बाद जो वह आवश्यक समझे और विक्रेता को सुनवाई का अवसर देने के बाद, वह तारीख तय करेगा जिस दिन से ऐसा विक्रेता करेगा।

उप-धारा (2) या उप-धारा के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाना

(5) . "

9. 61 वें विधि आयोग की रिपोर्ट, जिसमें अनुच्छेद 366 (29-ए) के सी. टी. मामले पर विचार-विमर्श किया गया था, अध्याय 1-डी के तहत व्यापारियों को संघों द्वारा बिक्री से संबंधित थी। रिपोर्ट से। यह उल्लेख करने के साथ शुरू हुआ

एल्ड इंडिया लिमिटेड (ऊपर) और फिर यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन (ऊपर) को निम्नानुसार संदर्भित किया गयाः

" 1 डी. 3. गैर-निगमित संघ-यद्यपि उपरोक्त मामला एक सहकारी समिति से संबंधित है, न्यायालय (शाह, जे.) ने गैर-निगमित के संबंध में स्थिति के बारे में कुछ टिप्पणियां कीं।

समाज, निम्नानुसारः " किसी अनिगमित सोसाइटी, क्लब या फर्म या एसोसिएशन के मामले में, आम तौर पर ऐसी सोसाइटी, क्लब, फर्म या एसोसिएशन द्वारा वस्तुओं की आपूर्ति और वितरण उसके सदस्यों का होता है, जिसके परिणामस्वरूप उन वस्तुओं की बिक्री नहीं हो सकती है जो सोसाइटी, क्लब, फर्म या एसोसिएशन के सदस्यों के लाभ के लिए संयुक्त रूप से आयोजित की जाती हैं, जब, संघ के सामान्य अधिकारों के त्याग के आधार पर।

सदस्यों, संपत्ति एक मूल्य के भुगतान में एक सदस्य को हस्तांतरित की जाती है, और लेनदेन को प्रथम दृष्टया इस रूप में नहीं माना जा सकता है अधिनियम के अर्थ के भीतर एक 'बिक्री'।

लेकिन अदालत ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया (फैसले के अंत में) कि इस मामले में यह तय करने के लिए नहीं कहा गया था कि क्या गैर-निगमित क्लब जो इसके लिए एक कीमत पर माल की आपूर्ति करता है

सदस्यों को अपने सदस्यों को माल बेचने वाला माना जा सकता है।

1 डी. 4. सदस्यों को क्लब द्वारा आपूर्ति 'बिक्री' नहीं है। - फिर, क्लब हैं। मद्रास की अपील पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय लिए गए एक मामले में, कॉस्मोपॉलिटन क्लब, मद्रास, यंगमेन इंडियन टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम।

कल्कुट्टा क्लब लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

एसोसिएशन, मद्रास और लॉली इंस्टीट्यूट, उटाकामुंड ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाएं दायर कीं, जिसमें मद्रास सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1959 के तहत अपने सदस्यों या मेहमानों को आपूर्ति किए जाने वाले नाश्ते, पेय पदार्थों और अन्य वस्तुओं पर बिक्री कर लगाने को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने माना कि क्लब 'डीलर' नहीं था

मद्रास अधिनियम की धारा 2 (छ) के अर्थ के भीतर, जिसे स्पष्टीकरण I के साथ पढ़ा जाता है और यह कि अधिनियम की धारा 2 (छ) के अर्थ के भीतर, जिसे स्पष्टीकरण I के साथ पढ़ा जाता है, कोई 'बिक्री' नहीं थी। उच्चतम न्यायालय में अपील पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी सदस्य का क्लब नहीं बनाया जा सकता है बिक्री से संबंधित बिक्री कर अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, क्योंकि सदस्य सभी क्लब संपत्ति के संयुक्त मालिक हैं।

1 डी. 5. इंग्लैंड में ऐसी परिस्थितियों में कोई 'बिक्री' नहीं। - यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि, इंग्लैंड में, यह ग्राफ v में आयोजित किया गया था। इवांस ने कहा कि एक लेन-देन जिसके तहत एक क्लब के सदस्य ने शराब का अधिग्रहण किया जो क्लब की संपत्ति थी, बिक्री नहीं थी, बल्कि केवल विशेष संपत्ति का हस्तांतरण था। इस मामले का फैसला 1893 में माल की बिक्री से संबंधित अंग्रेजी अधिनियम पारित होने से ग्यारह साल पहले किया गया था।

निर्णय का आधार यह था कि लेन-देन अन्य सदस्यों के अधिकारों को "खरीदार" को जारी करना था। हो सकता है।

इसलिए यह सोचा गया है कि जब माल बिक्री अधिनियम की धारा 1 (1) विशेष रूप से (1893 में) अधिनियमित की गई थी कि -

..... एक हिस्से के मालिक और दूसरे के बीच बिक्री का अनुबंध हो सकता है। ग्राफ वी का आधार। इवांस वैध होना बंद कर दिया था।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि भारतीय माल बिक्री अधिनियम में भी ऐसा ही प्रावधान है। लेकिन डेविस वी में। बर्नेट, एक डिवीजनल कोर्ट ने पहले के मामले का पालन किया, और माल की बिक्री अधिनियम का उल्लेख भी नहीं किया गया था। एक जाने-माने लेखक ने कहा है कि "कानून के इस दृष्टिकोण को अब इतने लंबे समय से स्वीकार किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा इसे परेशान किए जाने की संभावना नहीं है।"

अंग्रेजी मामले ज्यादातर लाइसेंस देने से संबंधित हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि माल की बिक्री अधिनियम में "आंशिक मालिक" के रूप में प्रावधान उनके रास्ते में नहीं आया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1 डी. 6 ए. तब, यह वर्तमान स्थिति है। अब जिस प्रश्न पर विचार किया जाना है, वह यह है कि क्या इस तरह की करयोग्यता वांछनीय है। राज्यों की विधायी शक्ति के उद्देश्य से "बिक्री" की अवधारणा का विस्तार करके लेन-देन का प्रावधान किया जाना चाहिए, जिसका परिणाम केवल संविधान में संशोधन करके प्राप्त किया जा सकता है।

1 डी. 7. संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। - हम नहीं करते।

सोचिए कि इस उद्देश्य के लिए संविधान में संशोधन करना उचित होगा। ऐसे क्लबों और संघों की संख्या बहुत बड़ी नहीं होगी। इसके अलावा, इस तरह के लेनदेन पर कर लगाया जा सकता है।

सहकारी आंदोलन को हतोत्साहित करें।

1 डी. 8. असंयोजित संघ विभिन्न प्रकार के हैं। व्यवस्थाएँ। - असंयोजित संगठन असंख्य रूप में मौजूद हैं।

संरचनात्मक व्यवस्थाएँ "। एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में, प्रत्येक अपने सदस्यों की गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होता है जब गतिविधि को संघ द्वारा अधिकृत, समर्थित या अनुमोदित किया जाता है। 1 डी. 9. कोई चोरी नहीं। - यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसे मामलों में चोरी का कोई गंभीर सवाल नहीं हो सकता है। एक सदस्य वास्तव में अपना सामान खुद लेता है।

1 डी. 10. इसलिए हम किसी भी बदलाव की सिफारिश नहीं करते हैं।

10. उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि विधि आयोग का विचार था कि संविधान में संशोधन नहीं किया जाना चाहिए ताकि पश्चिम बंगाल v.

कर शुद्ध सदस्यों के क्लब। उसने ऐसा करने के लिए तीन कारण बताए। इसमें कहा गया है कि ऐसे क्लबों और संघों की संख्या अधिक नहीं होगी; दूसरा, इस तरह के लेनदेन का कराधान जन आंदोलन को हतोत्साहित कर सकता है; और तीसरा, वृद्धि की चोरी का कोई गंभीर सवाल नहीं है क्योंकि ऐसे क्लबों का सदस्य वास्तव में अपना सामान लेता है।

11. हालांकि, उपरोक्त के बावजूद, अनुच्छेद 366 (29-ए) शामिल है।

एन यह उपखंड (ई)।

12. इस बिंदु पर, 46 वें संशोधन तक के उद्देश्य कारणों के विवरण का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है। प्रासंगिक भाग जैसे कि उद्देश्यों और कारणों का विवरण निम्नानुसार हैः

" भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अनुसरण में अधिनियमित बिक्री कर कानून और संविधान के लागू होने के बाद पारित बिक्री कर से संबंधित कानून इस आधार पर आगे बढ़े कि विधायी सूचियों में प्रविष्टियों की व्यापक व्याख्या के नियम को ध्यान में रखते हुए "वस्तुओं की बिक्री" अभिव्यक्ति दी जाएगी।

एक व्यापक अर्थ। हालांकि, गैनन डंकरले के मामले में

(ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 560), उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान की सातवीं अनुसूची में प्रविष्टियों में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "माल की बिक्री" का वही अर्थ है जो माल की बिक्री अधिनियम, 1930 में है। यह निर्णय कार्य अनुबंधों से संबंधित है।

बाद के निर्णयों की एक श्रृंखला द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय ने, गैनन डंकरले के मामले में निर्णय के आधार पर, विभिन्न अन्य लेनदेनों को, जो सार में, बिक्री के माध्यम से लेनदेन से मिलते-जुलते हैं, बिक्री कर के लिए उत्तरदायी नहीं माना है। इन निर्णयों के परिणामस्वरूप, संघ सूची की प्रविष्टि 92 ए या राज्य सूची की प्रविष्टि 54 के तहत बिक्री कर के अधिरोपण के अधीन होने के लिए एक लेन-देन में निम्नलिखित तत्व होने चाहिए, अर्थात् अनुबंध, आपसी सहमति और संपत्ति के हस्तांतरण के लिए सक्षम पक्ष।

एक पक्ष से दूसरे पक्ष को अनुबंध के लिए माल

वहाँ एक कीमत के लिए।

इस स्थिति के परिणामस्वरूप विभिन्न तरीकों से कर से बचने की गुंजाइश है। केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत अंतर-राज्य बिक्री पर बिक्री कर के भुगतान से बचने के लिए, इसका एक उदाहरण अंतर-राज्य खेप हस्तांतरण की प्रथा है, अर्थात, एक राज्य में मुख्य कार्यालय या प्रिंसिपल से दूसरे राज्य में एक शाखा या एजेंट को माल का हस्तांतरण या इसके विपरीत या खेप खाते में माल का हस्तांतरण। जबकि एक कार्य अनुबंध के मामले में, यदि अनुबंध [2019] 15 एस. सी. आर. के साथ व्यवहार करता है।

श्रम की लागत से अलग सामग्री की बिक्री, सामग्री की बिक्री कर योग्य होगी, लेकिन एक अविभाज्य कार्य अनुबंध के मामले में, ऐसे अनुबंध के निष्पादन में शामिल माल में संपत्ति के हस्तांतरण पर बिक्री कर लगाना संभव नहीं है क्योंकि यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सामग्री की कोई बिक्री नहीं है और उनमें संपत्ति चल के रूप में पारित नहीं होती है। हालांकि व्यावहारिक रूप से किराया-खरीद समझौते में खरीदार को मिलता है किराया-खरीद की तारीख को माल, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि बिक्री केवल तभी होती है जब खरीदार बहुत बाद की तारीख में खरीदने के विकल्प का प्रयोग करता है और इसलिए खरीद के विकल्प का प्रयोग करने के समय ऐसे लेनदेन में शामिल माल का केवल मूल्यह्रास बिक्री कर के लिए आकलन योग्य हो जाता है। इसी तरह, एक पंजीकृत क्लब या व्यक्तियों के अन्य संघ द्वारा बिक्री के दौरान

(निगमित दर्जा रखने वाले व्यक्तियों का क्लब या संघ)

सदस्य कर योग्य होते हैं, एक अनिगमित क्लब या व्यक्तियों के संघ द्वारा अपने सदस्यों को की गई बिक्री कर योग्य नहीं होती है क्योंकि इस तरह के क्लब या संघ का कानूनी रूप से सदस्यों से अलग कोई अस्तित्व नहीं होता है। एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया मामले (ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 1131) में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि होटल व्यवसायी द्वारा होटल में रहने वाले व्यक्ति को भोजन या पेय की आपूर्ति में कोई बिक्री शामिल नहीं है।

XXX XXX XXX प्रस्तावित संशोधनों से राज्य के राजस्व में काफी हद तक वृद्धि करने में मदद मिलेगी। विधेयक के खंड 6 में विचार के लिए खाद्य या पेय की आपूर्ति और संग्रह या वसूली पर कर लगाने वाले कानूनों को मान्य करने का प्रयास किया गया है।

ऐसे किसी भी कानून के तहत कर का। तथापि, यदि विधेयक के खंड 6 के उपखंड (2) में उल्लिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं तो एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया मामले में निर्णय की तारीख और वर्तमान संशोधन अधिनियम के प्रारंभ की अवधि के दौरान होटल व्यवसायी द्वारा होटल में रखे गए व्यक्ति को आपूर्ति किए गए भोजन या पेय पर कोई बिक्री कर देय नहीं होगा। रेस्तरां द्वारा आपूर्ति किए गए भोजन या पेय के मामले में यह राहत केवल उत्तरी भारत कैटरर्स (इंडिया) लिमिटेड मामले में निर्णय की तारीख और वर्तमान संशोधन अधिनियम के प्रारंभ के बाद की अवधि के संबंध में उपलब्ध होगी।

(जोर दिया गया)

13. इस मोड़ पर, बीएसएनएल बनाम में इस टी के निर्णय का विज्ञापन करना महत्वपूर्ण है। भारत संघ (2006) 3 एससीसी 1. यह फैसला

लेन-देन की प्रकृति के साथ खुद को संलग्न करें जिसके द्वारा मोबाइल फोन क्रियाओं का आनंद लिया जाता है। इस न्यायालय के समक्ष जो प्रश्न उठा वह यह था कि विचाराधीन लेन-देन एक सेवा लेनदेन था न कि माल की बिक्री या आपूर्ति के लिए कार्रवाई। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, टी ने अनुच्छेद 366 (29-ए) का उल्लेख करने के बाद निम्नानुसार टिप्पणी कीः

" 41. उपखंड (ए) एक ऐसी स्थिति को शामिल करता है जहां सहमति तत्व की कमी है। यह आम तौर पर अनैच्छिक बिक्री में होता है। उपखंड (बी) में कार्य अनुबंधों से संबंधित मामले शामिल हैं। यह विशेष तथ्य स्थिति थी जिसका न्यायालय को गन्नन डंकरले [मद्रास राज्य बनाम मद्रास] मामले में सामना करना पड़ा था। गन्नन

डंकरली एंड कंपनी (मद्रास) लिमिटेड, (1958) 9 एसटीसी 353: आकाशवाणी 1958 एससी 560: 1959 एस. सी. आर. 379] और जो न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था वह बिक्री नहीं थी। कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं में संपत्ति के हस्तांतरण का कानून में प्रभाव इस संशोधन द्वारा बिक्री माना गया था। उस हद तक गन्नन में निर्णय

डंकर्ले [मद्रास राज्य बनाम। गैनन डंकरली एंड कंपनी

(मद्रास) लिमिटेड, (1958) 9 एसटीसी 353: आकाशवाणी 1958 एससी 560: 1959 एस. सी. आर. 379] को सीधे पार कर लिया गया था। उपखंड (ग) किराया से संबंधित है।

ऐसी खरीद जहाँ माल का स्वामित्व हस्तांतरित नहीं किया गया हो। फिर भी कानून की कल्पना से, इसे बिक्री के रूप में माना जाता है। इसी तरह उपखंड (घ) के तहत माल का स्वामित्व हस्तांतरणकर्ता के पास रहता है जो केवल खरीदार को माल का उपयोग करने का अधिकार हस्तांतरित करता है। दूसरे शब्दों में, ए. वी. मेयप्पन के फैसले [(1967) 20 एस. टी. सी. 115 (मैड)] के विपरीत एक तस्वीर के नकारात्मक प्रिंट का पट्टा एक बिक्री होगी। उपखंड (ई) उन मामलों को शामिल करता है जो कानूनी रूप से बिक्री की राशि नहीं हो सकते हैं क्योंकि एक निगमित संघ का सदस्य एक अर्थ में माल की आपूर्ति के आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों के रूप में शुरू हुआ होगा। अब इस तरह के लेनदेन को बिक्री माना जाता है। उपखंड () उन अनुबंधों से संबंधित है जो पंजाब राज्य में बिक्री के लिए राशि नहीं माने गए थे। एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया लिमिटेड [(1972) 1 एस. सी. सी. 472: (1972) 29 एस. टी. सी. 474] वह निर्णय इस खंड द्वारा किया गया है

प्रभावी रूप से विधायी रूप से अमान्य "।

14. लक्ष्मणन, जे. के अलग सहमति वाले निर्णय में,

एड न्यायाधीश ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 105. संशोधन ने कल्पना की शुरुआत की जिसके द्वारा छह उदाहरण दिए गए लेन-देन को माल की बिक्री माना जाता था और

मानित बिक्री के बारे में उक्त परिभाषा को संविधान के प्रत्येक प्रावधान में पढ़ना होगा जहां भी वाक्यांश "बिक्री पर कर या

वस्तुओं की खरीद होती है। इस परिभाषा ने कानून को बदल दिया।

गैनन डंकरली एंड कंपनी में फैसले में घोषित [राज्य का राज्य]

मद्रास बनाम. गैनन डंकरली एंड कंपनी (मद्रास) लिमिटेड, (1958) 9 एसटीसी 353: आकाशवाणी 1958 एससी 560: 1959 एस. सी. आर. 379] केवल मानित बिक्री के उन लेनदेनों के संबंध में। अन्य मामलों में, कानून घोषित

इस न्यायालय द्वारा तटस्थ नहीं किया जाता है। 46 वें संशोधन द्वारा प्रस्तुत अनुच्छेद 366 (29-ए) के उपखंडों में से प्रत्येक इस न्यायालय के फैसले का परिणाम था जिसे निष्प्रभावी या संशोधित करने की मांग की गई थी। उपखंड (ए) न्यू इंडिया शुगर मिल्स लिमिटेड का परिणाम है। सीएसटी [(1963) 14 एसटीसी 316: 1963 सप्लीमेंट (2) एससीआर 459] और विष्णु एजेंसीज (पी) लिमिटेड v. सीटीओ [(1978) 1 एससीसी 520: 1978 एस. सी. सी. (कर) 31: ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 449] उपखंड (बी) का परिणाम है

गैनन डंकरली एंड कंपनी. [मद्रास राज्य बनाम। गन्नन

डंकरली एंड कंपनी (मद्रास) लिमिटेड, (1958) 9 एसटीसी 353: आकाशवाणी 1958 एससी 560: 1959 एस. सी. आर. 379] उपखंड (सी) के. एल. जौहर एंड कंपनी बनाम का परिणाम है। सीटीओ [(1965) 2 एससीआर 112: ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1082] उपखंड (घ) ए. वी. मयप्पन बनाम के परिणामस्वरूप है। सी. सी. टी. [(1967) 20 एस. टी. सी. 115 (मैड)]। उपखंड (ई) सीटीओ वी का परिणाम है। यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन। ( ) [(1970) 1 एस. सी. सी. 462]। उपखंड (च)

यह उत्तरी भारत कैटरर्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम का परिणाम है। लेफ्टिनेंट.

दिल्ली के राज्यपाल [(1978) 4 एससीसी 36: 1978 एस. सी. सी. (कर) 198] और

पंजाब राज्य बनाम। एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया लिमिटेड [(1972) 1

एससीसी 472: (1972) 29 एसटीसी 474] "

15. उपखंड (ङ) ओ. टी. पर निर्णय में की गई टिप्पणियों को संभवतः निर्णय के अनुपात-निर्णय के रूप में कहा जा सकता है,

उस मामले में विचार के लिए आया था कि क्या विद्युत

इटिक तरंगों को 'माल' कहा जा सकता है, ताकि विषय वस्तु हो

अनुच्छेद 366 के अंतर्गत विभाजन। इसका जवाब नकारात्मक में दिया गया था वीएसः

" 71. हमारे द्वारा पहले बताए गए कारणों से हम मानते हैं कि

टेलीफोन एक्सचेंज सहित टेलीफोन प्रणाली वस्तु नहीं है। लेकिन अचल संपत्ति जैसा कि कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा तर्क दिया गया है। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम

कल्कुट्टा क्लब लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

किसी भी मामले में, निर्णय का अनुच्छेद 41, जब यह उप को संदर्भित करता है

16. वास्तव में, इस न्यायालय ने आगे कहा कि निर्णय ने मद्रास बनाम को खा लिया। गैन्नन डंकरली ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 560 नहीं था46 वें संशोधन को पूरी तरह से हटा दिया गया और वास्तव में दो मामलों में इस प्रकार बचा रहाः

" 43. गैनन डंकरली [मद्रास राज्य बनाम। गन्नन

डंकरली एंड कंपनी (मद्रास) लिमिटेड, (1958) 9 एसटीसी 353: आकाशवाणी 1958

एससी 560: 1959 एस. सी. आर. 379] दो मायनों में छियालिसवें संवैधानिक संशोधन से बच गया। सबसे पहले सामान्य रूप से संविधान के उद्देश्यों के लिए और विशेष रूप से सूची II की प्रविष्टि 54 के उद्देश्यों के लिए "बिक्री" की परिभाषा के संबंध में, उस सीमा को छोड़कर जब अनुच्छेद 366 (29-ए) के खंड संचालित होते हैं। "मानित बिक्री" की अलग-अलग श्रेणियों की शुरुआत करके, शब्द का अर्थ

" माल में कोई बदलाव नहीं किया गया था। इस प्रकार समग्र की परिभाषाएँ बिक्री के तत्व जैसे पक्षों का इरादा, माल, वितरण,

आदि को ज्ञात कानूनी के अनुसार परिभाषित किया जाना जारी रहेगा

अर्थ। इसका मतलब यह नहीं है कि अवधारणाओं की सामग्री स्थिर रहती है। अदालतों को समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। [अटॉर्नी जनरल वी. देखें। लंदन लिमिटेड की एडिसन टेलीफोन कंपनी, (1880) 6

क्यूबीडी 244: 43 एल. टी. 697] लेकिन छियालिसवाँ संशोधन, उदाहरण के लिए, यह मानने के लिए लाइसेंस नहीं देता है कि एक लेनदेन एक बिक्री है और फिर यह देखने के लिए कि माल क्या हो सकता है। वह शब्द। " 46 वें संशोधन द्वारा माल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बिक्री के उस घटक की वही परिभाषा बनी हुई है। द.

दूसरा सम्मान जिसमें गैनन डंकरली [मद्रास राज्य बनाम। गैनन डंकरली एंड कंपनी (मद्रास) लिमिटेड, (1958) 9 एसटीसी 353: आकाशवाणी 1958 एससी 560: 1959 एस. सी. आर. 379] बच गया है जो अनुच्छेद 366 (29-ए) द्वारा कवर नहीं किए गए समग्र लेनदेन पर लागू होने वाले प्रमुख प्रकृति परीक्षण के संदर्भ में है। ऐसे लेन-देन जो उत्परिवर्तित बिक्री हैं, अनुच्छेद 366 (29-ए) के खंडों तक सीमित हैं। बिक्री के उद्ग्रहण के उद्देश्य से अन्य सभी लेनदेनों को माल की बिक्री अधिनियम, 1930 के अर्थ के भीतर बिक्री के रूप में अर्हता प्राप्त करनी होगी।

कर।

"[2019] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17. इस प्रकार हमें अपने लिए यह पता लगाना होगा कि क्या अनुच्छेद 366 (29-ए) (ई) द्वारा पारस्परिकता के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया है, और क्या यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन (सुप्रा) का अनुपात समाप्त हो जाएगा।

46 वें संशोधन के बाद भी काम करना जारी रखें। 18. इस मोड़ पर, दो स्तंभों को निर्धारित करना महत्वपूर्ण है, इसलिए बोलने के लिए, जिस पर यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन (सुप्रा) काफी हद तक है।

आधारित है। ग्राफ वी. इवांस (1882) 8 क्यू. बी. 373, ग्रोसवेनर क्लब को एक ट्रस्ट के रूप में शामिल किया गया था, अपीलकर्ता ग्राफ क्लब के प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे थे, एक प्रबंध समिति के लिए और उसकी ओर से, जो क्लब के सामान्य व्यवसाय का संचालन करती थी। सदस्यों को उसी के लिए भुगतान पर भोजन और शराब, बीयर और स्पिरिट जैसे जलपान परोसे गए। सवाल यह था कि क्या खुदरा रूप से शराब बेचने के लिए लाइसेंस अधिनियम, 1872 के तहत लाइसेंस की आवश्यकता थी। इस संदर्भ में, क्वींस बेंच डिवीजन ने अभिनिर्धारित कियाः

" मुझे लगता है कि नियमों का सही निर्माण यह है कि सदस्य क्लब के सभी सामानों में सामान्य संपत्ति के संयुक्त मालिक थे, और यह कि न्यासी उनके एजेंट थे।

माल में सामान्य संपत्ति, हालांकि उनके पास कुछ वस्तुओं में विशेष संपत्तियों के संबंध में अन्य एजेंट थे। मैं यह कहने में विद्वान मजिस्ट्रेट के तर्क का पालन करने में असमर्थ हूं कि सवाल इस बात पर निर्भर करता है कि शराब की बिक्री से लाभ हुआ या नहीं। यह मुझे महत्वहीन लगता है कि एक सदस्य द्वारा शराब के लिए भुगतान की जाने वाली राशि लागत मूल्य के बराबर या उससे अधिक या कम होती है। लेन-देन उस खाते पर कम या ज्यादा बिक्री नहीं बन जाता है। यह सही विचार नहीं हो सकता है कि यदि सदस्य लागत मूल्य के बिल्कुल बराबर राशि का भुगतान करता है तो खंड के भीतर कोई बिक्री नहीं होती है, लेकिन यह कि यदि वह लागत मूल्य से अधिक का भुगतान करता है। खंड को भाषा को देखकर समझा जाना चाहिए।

उपयोग किया जाता है, और कानून के उद्देश्य का एक बड़ा दृष्टिकोण लेते हुए। विधायिका इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि यह अस्वीकार्य है कि मादक शराब को बिना लाइसेंस के कहीं भी बेचा जाना चाहिए। यह अधिनियम मादक शराब की "बिक्री" तक सीमित है, और केवल खुदरा व्यापारियों द्वारा बिक्री के उद्देश्य से प्रतीत होता है, क्योंकि थोक व्यापारी को छुआ नहीं जाता है। यहाँ सवाल यह है कि क्या फोस्टर को शराब की आपूर्ति करने वाले प्रबंधक ग्राफ ने खुदरा द्वारा "बिक्री" को प्रभावित किया? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि फोस्टर एक साथ संपत्ति का मालिक था।

क्लब के अन्य सभी सदस्यों के साथ। कोई भी सदस्य मूल्य के भुगतान पर माल प्राप्त करने का हकदार था।

एक बिक्री में पश्चिम बंगाल राज्य बनाम शामिल है। कलकत्ता क्लब लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

एक सौदे का तत्व। यहाँ माल के संबंध में कोई सौदा नहीं था, न ही ग्राफ के साथ कोई अनुबंध था। फोस्टर क्लब के सदस्य के रूप में अपने अधिकारों पर काम कर रहे थे, किसी नए अनुबंध के कारण नहीं, बल्कि अपने पुराने अनुबंध के तहत जिसके द्वारा उन्होंने क्लब के धन में एक राशि की सदस्यता ली, और एक निश्चित मूल्य पर एक सदस्य के रूप में उन्हें एल और व्हिस्की की आपूर्ति करने के हकदार बन गए। मैं इस बात की कल्पना नहीं कर सकता कि ग्राफ उस पर बेचे गए और वितरित किए गए सामान की कीमत के लिए मुकदमा कर सकती थी। दो व्यक्तियों के बीच कोई अनुबंध नहीं था, क्योंकि फोस्टर विक्रेता के साथ-साथ खरीदार भी था। लेन-देन को फोस्टर द्वारा माल में अन्य सभी सदस्यों के शेयरों की खरीद मानते हुए, फोस्टर उतना ही सह-मालिक था जितना कि विक्रेता।

19. इसी तरह, ट्रेबनॉग वर्किंग मेन्स क्लब एंड इंस्टीट्यूट में

वी. मैकडोनाल्ड (1940) 1 के. बी. 576, बेंच डिवीजन के समक्ष एक समान प्रश्न उठा। ग्राफ (ऊपर) को इस प्रकार लागू और पालन किया गया थाः

" हमारी राय में, ग्राफ बनाम में निर्णय। इवांस वर्तमान मामले पर लागू होता है और उसे नियंत्रित करता है। एक बार यह स्वीकार किया जाता है कि एक सदस्य '

क्लब को अपने सदस्यों को मादक शराब परोसने के लिए आवश्यक रूप से लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि शराब में कानूनी संपत्ति सदस्यों के पास नहीं होती है, किसी भी कानूनी रूप से आकर्षित करना मुश्किल होता है।

विभिन्न कानूनी संस्थाओं के बीच अंतर जिन्हें सदस्यों की ओर से संपत्ति रखने का कर्तव्य सौंपा जा सकता है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, या न्यासियों का निकाय हो, या इस उद्देश्य के लिए बनाई गई कंपनी हो, जब तक कि शराब में वास्तविक ब्याज बना रहता है,

इस मामले में यह स्पष्ट रूप से क्लब के सदस्यों में होता है। "ट्रस्टी" या "एजेंट" अभिव्यक्तियों में इस संबंध में कोई जादू नहीं है। जो आवश्यक है वह यह है कि एजेंट द्वारा संपत्ति का स्वामित्व

या ट्रस्टी को क्लब के सदस्यों के लिए और उनकी ओर से एक होल्डिंग होना चाहिए, न कि एक विरोधी होल्डिंग। हम यहाँ एक अर्ध-आपराधिक मामले से निपट रहे हैं, जहाँ अदालत निपटना चाहती है।

लेन-देन का सार उस कानूनी रूप के बजाय जिसमें इसे पहना जा सकता है। 20. अब निर्णय पर विचार करने के लिए मंच तैयार है

पुरुष भारतीय संघ (ऊपर)। तीन अलग-अलग अपीलें

इस मामले में इस न्यायालय की छह न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई की और फैसला सुनाया। पहले कॉस्मोपॉलिटन क्लब, मद्रास माना जाता था, जो था

कंपनी अधिनियम, 1913 की धारा 26 के तहत गैर-लाभ [2019] 15 एस. सी. आर. के रूप में दर्ज किया गया।

संस्थान। यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी के रूप में भी माना गया था। तीसरे मामले में लॉली संस्थान शामिल था जो ट्रस्ट का विलेख अस्तित्व में आया। इन सभी मामलों में, भोजन की तैयारी की आपूर्ति की गई थी

क्लब द्वारा निर्धारित कीमतों पर एनबीआर। कॉस्मोपॉलिटन क्लब के मामले में, एक एन. बी. आर. को अपने साथ मेहमानों को लाने की अनुमति है, लेकिन यदि भोजन की किसी भी वस्तु को अतिथि द्वारा जोड़ा जाता है, तो यह सदस्य है जिसे इसके लिए भुगतान करना पड़ता है, च यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन में स्थिति के समान था।

मद्रास बिक्री कर अधिनियम, 1959 में विचार के लिए आया

एस्सेड फैसला। यह न्यायालय उद्धृत दो अंग्रेजी मामलों का उल्लेख करता है

ऊपर आयोजितः

" 7. इंग्लैंड में हमेशा से कानून रहा है कि सदस्यों के क्लबों को बिक्री से संबंधित लाइसेंस अधिनियमों के प्रावधानों के अधीन नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि सदस्य उत्पाद शुल्क सहित सभी क्लब संपत्ति के संयुक्त मालिक हैं। क्लब द्वारा किसी सदस्य को एक निश्चित मूल्य पर शराब की आपूर्ति को बिक्री नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को शराब की आपूर्ति की जाती है और उसके लिए भुगतान किया जाता है जो क्लब का प्रामाणिक सदस्य या उसका विधिवत अधिकृत एजेंट नहीं है, तो बिक्री होगी। निगमित क्लबों के संबंध में एक अंतर खींचा गया है। जहां ऐसे क्लब में अपने निगमन के अनुरूप सदस्यों के क्लब की सभी विशेषताएं हैं, यानी जहां प्रत्येक सदस्य एक शेयरधारक है और प्रत्येक शेयरधारक एक सदस्य है, अगर केवल सदस्यों को शराब की आपूर्ति की जाती है तो कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि कुछ शेयरधारक सदस्य नहीं हैं या कुछ सदस्य शेयरधारक नहीं हैं तो यह एक मालिकाना क्लब का मामला होगा और इसमें बिक्री शामिल होगी। स्वामित्व क्लब एक अलग पायदान पर खड़े हैं। सदस्य क्लब की संपत्ति के मालिक या उसमें रुचि नहीं रखते हैं। उन्हें एक निश्चित शुल्क पर भोजन या शराब की आपूर्ति एक बिक्री है। (हैल्सबरीज लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, थर्ड एडन देखें। , खण्ड. 5 , पीपी। 280-281) . ग्राफ v में निर्धारित सिद्धांत। इवांस [(1882) 8 क्यू. बी. डी. 373]

पालन किया गया। उस मामले में फील्ड, जे. ने इसे इस प्रकार रखाः " मुझे लगता है कि नियमों का सही निर्माण यह है कि सदस्य क्लब के सभी सामानों में सामान्य संपत्ति के संयुक्त मालिक थे, और माल में सामान्य संपत्ति के संबंध में न्यासी उनके एजेंट थे। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम

कानूनी संपत्ति में महसूस की गई कठिनाई जो आम तौर पर सदस्यों के क्लब के न्यासियों या निगमित निकाय में निहित होती थी एजेंसी के सिद्धांत यानी क्लब या सदस्यों के एजेंटों के रूप में कार्य करने वाले न्यासियों का आह्वान करके आगे बढ़े। ट्रेबनॉग वर्किंग मेन्स क्लब एंड इंस्टीट्यूट लिमिटेड में लॉर्ड हेवर्ट (एल. सी. जे.) के अनुसार। मैकडोनाल्ड [(1940) 1 एईएलआर 454] एक बार जब यह स्वीकार कर लिया गया कि एक सदस्य क्लब को अपने सदस्यों को मादक शराब परोसने के लिए आवश्यक रूप से लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, तो विभिन्न कानूनी संस्थाओं के बीच कोई अंतर करना मुश्किल था, जिन्हें सदस्यों की ओर से संपत्ति रखने का कर्तव्य सौंपा जा सकता है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो या न्यासियों का निकाय या इस उद्देश्य के लिए बनाई गई कंपनी जब तक कि शराब में वास्तविक हित क्लब के सदस्यों में बना रहता है। जो आवश्यक था वह यह था कि अभिकर्ता या न्यासी द्वारा संपत्ति का स्वामित्व, क्लब के सदस्यों के लिए शत्रुतापूर्ण स्वामित्व नहीं, बल्कि उनके लिए और उनकी ओर से होना चाहिए।

8. भारत में उच्च न्यायालयों द्वारा तय किए गए विभिन्न मामलों में इंग्लैंड में जो विचार प्रचलित था, वह था - स्वीकार किया और आवेदन किया। हम बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स क्लब में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसलों को देख सकते हैं,

जलपान की ऐसी आपूर्ति के संबंध में क्लब से किसी सदस्य और क्लब को संपत्ति का हस्तांतरण सी. पी. और बरार बिक्री कर अधिनियम, 1947 के तहत बिक्री कर के लिए उत्तरदायी नहीं था। ट्रेबनॉग वर्किंग मेन्स क्लब में जिस सिद्धांत का प्रचार किया गया था वह था यह स्वीकार किया गया और यह कहा गया कि यदि अभिकर्ता या न्यासी सदस्यों को वस्तुओं की आपूर्ति करता है तो ऐसी आपूर्ति बिक्री के लेन-देन के बराबर नहीं होगी। मैसूर अदालत ने यही विचार व्यक्त किया कि एक विशुद्ध रूप से सदस्यों का क्लब जो एक सचिव या प्रबंधक के माध्यम से खरीदारी करता है और सदस्यों को एक निश्चित दर पर आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है, कानून में उन वस्तुओं को सदस्यों को नहीं बेचता है।

21. श्री द्विवेदी द्वारा जिस निर्णय पर बहुत अधिक भरोसा किया गया था, जिसका नाम एल्ड इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) था, उसे इस प्रकार अलग किया गया थाः

" 9. अपीलार्थी की ओर से एक पर निर्भरता रखी गई है

धारा 2 (जी) का स्पष्टीकरण अधिकार के भीतर और भीतर पाया गया। राज्य विधानमंडल की क्षमता। फैसला आगे बढ़ा

इस आधार पर कि जब एक सहकारी समिति ने आपूर्ति की

इसके सदस्यों को निम्नलिखित चार मूल्यों पर जलपान

बिक्री के घटक तत्व मौजूद थेः (1) अनुबंध करने के लिए सक्षम पक्ष; (2) पारस्परिक सहमति; (3) वस्तु, पूर्ण या सामान्य संपत्ति जिसमें विक्रेता से खरीदार को हस्तांतरित किया जाता है और

(4) भुगतान या वादा किए गए धन में कीमत। केवल तथ्य यह है कि समाज

केवल अपने सदस्यों को जलपान की आपूर्ति करना और कोई लाभ नहीं कमाना यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता था कि समाज केवल अपने सदस्यों के एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा था। चूंकि एक पंजीकृत सोसायटी एक निगमित निकाय थी, इसलिए यह नहीं माना जा सकता था कि उसके पास जो संपत्ति थी, वह वह संपत्ति थी जिसके उसके सदस्य मालिक थे। अंग्रेजी फैसलों को इस आधार पर अलग किया गया था कि उन मामलों में अदालतें अर्ध-आपराधिक प्रकृति के मामलों से निपट रही थीं।

22. अंत में, न्यायालय ने निष्कर्ष निकालाः

" 11. वर्तमान मामले में आवश्यक सवाल यह है कि क्या प्रत्येक क्लब द्वारा अपने सदस्यों को विभिन्न तैयारी की आपूर्ति में बिक्री के अर्थ के भीतर बिक्री का लेनदेन शामिल है।

माल अधिनियम, 1930। राज्य विधानमंडल सक्षम होने के कारण

केवल सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 54, सूची II के तहत कानून बनाना संविधान में "माल की बिक्री" शब्द का वही अर्थ है जो उपरोक्त अधिनियम में है। इस प्रकार धारा 2 (एन) में निहित परिभाषा के बावजूद स्पष्टीकरण I के साथ पढ़ा जाता है

अधिनियम यदि एक से दूसरे में संपत्ति का हस्तांतरण नहीं होता है तो ऐसी कोई बिक्री नहीं है जो कर के योग्य हो। अगर क्लब भले ही ए विशिष्ट कानूनी इकाई केवल अपने सदस्यों के लिए विभिन्न तैयारी की आपूर्ति के मामले में एक एजेंट के रूप में कार्य कर रही है, कोई भी बिक्री शामिल नहीं होगी क्योंकि हस्तांतरण का तत्व पूरी तरह से अनुपस्थित होगा।

इस स्थिति को पहले भी उचित रूप से स्वीकार किया गया है

इस न्यायालय का निर्णय।

12. निर्णय में उच्च न्यायालय का अंतिम निष्कर्ष

अपील यह थी कि प्रत्येक क्लब का मामला एक के समान था एजेंट या अनिवार्य रूप से चीजों को तैयार करने के लिए अपने पैसे का निवेश करना

मूलधन के उपभोग के लिए, और बाद में खुद को पुनः प्राप्त करने के लिए

किए गए खर्च। एक बार संबंधित तथ्यों पर यह निष्कर्ष प्रत्येक क्लब तक पहुँचने के लिए यह उच्च न्यायालय के लिए अनावश्यक था

के अधिकार के संबंध में कोई विचार व्यक्त किया है

अधिनियम की धारा 2 (जी) और 2 (एन) के लिए स्पष्टीकरण। कोई लेन-देन नहीं

जलपान और तैयारी की आपूर्ति पर अधिनियम के प्रावधान प्रत्येक क्लब द्वारा अपने सदस्यों को "।

(जोर दिया गया)

23. शाह, जे., जो एनफील्ड इंडिया लिमिटेड (ऊपर) में लेखक थे,

एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे-लेकिन अंग्रेजी मामलों को लागू किए बिना - यह कहते हुए कि अंग्रेजी मामले आपराधिक कार्यवाही से संबंधित थे, जबकि वर्तमान मामला एक कर कानून का मामला था।

24. यह देखा जा सकता है कि यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन (ऊपर)

एनफील्ड इंडिया लिमिटेड (ऊपर) को पैराग्राफ 9 में स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठित किया गया है। एनफील्ड इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) के फैसले में उस मामले के तथ्यों पर निर्णय दिया गया कि यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि उस मामले में सोसायटी अपने सदस्यों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए सुविधाएं प्रदान करने में एक एजेंट के रूप में काम कर रही थी। इसके बाद एक समाज जो एक निगमित निकाय है और उसके सदस्यों के बीच एक अंतर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि निगमित निकाय कानून में एक अलग व्यक्ति है। इसके बाद इसने ट्रेबनॉग (ऊपर) सहित विभिन्न अंग्रेजी निर्णयों का उल्लेख किया और उन्हें इस आधार पर लागू करने से इनकार कर दिया कि वे ऐसे मामले थे जो आपराधिक कार्यवाही से संबंधित थे। फैसला तब यह कहते हुए समाप्त हुआ कि अदालत को यह तय करने के लिए नहीं कहा गया था कि क्या एक अनिगमित क्लब, जो अपने सदस्यों को एक कीमत पर सामान की आपूर्ति करता है, को अपने सदस्यों को सामान बेचने के रूप में माना जा सकता है।

25. उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि तीनों का अनुपात

एनफील्ड इंडिया लिमिटेड (ऊपर) में न्यायाधीश पीठ यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन (ऊपर) में छह न्यायाधीशों की पीठ के अनुपात के बराबर नहीं है। यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन (ऊपर दिया गया) स्पष्ट रूप से अंग्रेजी निर्णयों पर आधारित है जो कॉर्पोरेट रूप की अवहेलना करते हैं और कहते हैं कि उन मामलों के तथ्यों पर दो व्यक्तियों के बीच बिक्री नहीं हो सकती है क्योंकि फोस्टर, यानी क्लब के सदस्य, को ग्राफ (ऊपर

दिया गया) में विक्रेता के साथ-साथ खरीदार के रूप में भी माना जा सकता है। इसी तरह, ट्रेबनोग [2019] 15 एस. सी. आर. में।

(ऊपर), जिस रूप में क्लब को पहना गया था, वह क्षणभंगुर नहीं था, यह कहा जा रहा था कि "ट्रस्टी या एजेंट" अभिव्यक्तियों में कोई जादू नहीं है। जो आवश्यक है वह यह है कि न्यासी द्वारा संपत्ति का स्वामित्व या एजेंट को क्लब के सदस्यों के लिए और उनकी ओर से एक होल्डिंग होना चाहिए, न कि एक होल्डिंग विरोधी होना चाहिए।

26. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एनफील्ड इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) इस मामले को आगे नहीं ले जाता है। यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन (ऊपर) बनाया गया

निगमित रूप में किसी क्लब और पंजीकृत सोसायटी के माध्यम से या न्यास के विलेख द्वारा निगमित क्लब के बीच कोई अंतर नहीं। क्या बात है?

निर्णय का सार यह है कि संपत्ति का स्वामित्व क्लब के सदस्यों के लिए और उनकी ओर से होना चाहिए, जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपत्ति का हस्तांतरण नहीं होना चाहिए। मालिकाना क्लबों को प्रतिष्ठित किया जाता था, क्योंकि वहाँ क्लब का मालिक स्वयं सदस्य नहीं होता था, बल्कि कोई और होता था।

27. श्री द्विवेदी ने इस प्रस्ताव के लिए बाचा एफ. गजदार (ऊपर) पर भरोसा करने की मांग की कि एक शेयरधारक कंपनी की संपत्तियों में कोई ब्याज हासिल नहीं करता है, जिसके परिणामस्वरूप यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन (ऊपर) के फैसले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। वर्तमान अपील कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनी से संबंधित है। धारा 25 (1) इस प्रकार हैः

" 25. धर्मार्थ के नाम पर "सीमित" के साथ वितरित करने की शक्ति या कोई अन्य कंपनी। - (1) जहाँ यह संतुष्टि के लिए साबित होता है

केंद्र सरकार कि एक संघ

(ए) प्रचार के लिए एक सीमित कंपनी के रूप में गठित होने वाला है वाणिज्य, कला, विज्ञान, धर्म, दान या कोई अन्य उपयोगी वस्तु,

और (ख) अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देने में अपने लाभ, यदि कोई हो, या अन्य आय को लागू करने का इरादा रखता है, और इसके लिए किसी भी लाभांश के भुगतान को प्रतिबंधित करता है।

सदस्यों,

केंद्र सरकार अनुज्ञप्ति द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि संघ को सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।

इसके नाम के साथ "लिमिटेड" या "प्राइवेट लिमिटेड" शब्द जोड़ा गया है।

28. इस प्रकार यह देखा जाएगा कि इन कंपनियों में, शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान निषिद्ध है, और लाभ, यदि कोई हो, तो कंपनी के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए लागू किया जाना चाहिए। बाचा एफ. गुज़दार (ऊपर) ने पश्चिम बंगाल बनाम का उल्लेख नहीं किया।

कल्कुट्टा क्लब लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]एक धारा 25 कंपनी के साथ-यह दो चाय कंपनियों के साथ काम करती थी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां, कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत थीं। इस संदर्भ में कि इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" यह कि एक शेयरधारक कंपनी के लाभ में भाग लेने का अधिकार प्राप्त करता है, आसानी से स्वीकार किया जा सकता है लेकिन यह संभव नहीं है

कि शेयरधारक, शेयरों की खरीद में धन निवेश करने पर, कंपनी की परिसंपत्तियों का हकदार बन जाता है और कंपनी की संपत्ति में उसका कोई भी हिस्सा होता है। शेयरधारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है। कंपनी की संपत्ति में, हालांकि उसे निस्संदेह लाभ में भाग लेने का अधिकार है यदि और जब कंपनी उन्हें विभाजित करने का निर्णय लेती है। कंपनी एक न्यायिक व्यक्ति है और शेयरधारकों से अलग है। यह कंपनी है जो संपत्ति की मालिक है न कि शेयरधारकों की। लाभांश कंपनी द्वारा घोषित लाभ का एक हिस्सा है जिसे शेयरधारकों के बीच वितरित किया जाना है। अपीलार्थी की ओर से रिलायंस को बकले कंपनी अधिनियम (12 वीं संस्करण), पी. में एक मार्ग पर रखा गया है। 894 कहाँ का

लाभांश का व्युत्पत्ति संबंधी अर्थ लाभांश के रूप में दिया जाता है, जो कुल विभाज्य राशि है, लेकिन इसके सामान्य अर्थ में इसका अर्थ प्राप्तकर्ता को देय विभाज्य राशि के हिस्से के रूप में भागफल के रूप में भुगतान और प्राप्त राशि है। यह कथन इस तर्क को उचित नहीं ठहराता है कि शेयरधारक एक विभाज्य राशि के मालिक हैं या वे कंपनी की संपत्ति के मालिक हैं। प्रश्न के समाधान के लिए उचित दृष्टिकोण कृषि आय की परिभाषा के सरल शब्दों पर ध्यान केंद्रित करना है जो बिना किसी अनिश्चित भाषा के राजस्व को उस भूमि से जोड़ता है जिससे यह सीधे निकलता है और ऐसे मामले में एक आवारा अवलोकन जिसका वर्तमान प्रश्न पर कोई असर नहीं है, समाधान को आगे नहीं बढ़ाता है।

सवाल के बारे में। भारतीय कानून में इस धारणा की गारंटी देने के लिए कुछ भी नहीं है कि एक शेयरधारक जो शेयर खरीदता है वह कंपनी की संपत्ति में कोई ब्याज खरीदता है जो एक न्यायिक व्यक्ति है जो शेयरधारकों से पूरी तरह से अलग है। शेयरधारक की वास्तविक स्थिति यह है कि शेयर खरीदने पर निवेशक उस कंपनी के लाभ में भाग लेने का हकदार हो जाता है जिसमें वह शेयर रखता है, यदि और जब कंपनी संघ के अनुच्छेदों के अधीन घोषणा करती है कि लाभ या उसके किसी भी हिस्से को [2019] 15 एस. सी. आर. द्वारा वितरित किया जाना चाहिए।

शेयरधारकों के बीच लाभांश का तरीका। उनके पास निस्संदेह कंपनी की परिसंपत्तियों में भाग लेने का एक और अधिकार है जो बंद होने के बाद बची होगी लेकिन पूरी संपत्ति में नहीं, जैसा कि लॉर्ड एंडरसन कहते हैं।

क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम बॉम्बे लेबर यूनियन (1969) आर 600, इस न्यायालय ने रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के पक्ष में ली गई प्रारंभिक आपत्ति का फैसला किया, कि उक्त क्लब एक "उद्योग" नहीं है, और इसी तरह, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ऐसे बर्ज़ क्लब पर लागू नहीं होगा। इस प्रस्ताव के खिलाफ एक विवाद उठाया गया था-कि सहायता क्लब को पेनी अधिनियम के तहत एक सीमित कंपनी के रूप में शामिल किया गया था, और इस प्रकार इसे इसके सदस्यों के अलावा एक अलग कानूनी वी के रूप में माना जाना चाहिए, और इसलिए इसके दायरे में आएगाऔद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत "उद्योग" का गठन। न्यायालय द्वारा इसे नकारते हुए, उक्त निर्णय के पृष्ठ 614 पर कहा गया हैः

" अंत में, इस परिस्थिति का संदर्भ दिया गया कि मद्रास जिमखाना क्लब के विपरीत, क्लब को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत एक सीमित कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। यह आग्रह किया गया कि कानून में इस निगमन का प्रभाव यह था कि क्लब अपने सदस्यों से अलग और अलग इकाई बन गया, ताकि, खानपान सुविधाएं प्रदान करने में, क्लब, एक अलग कानूनी इकाई के रूप में, उन सदस्यों के साथ लेनदेन कर रहा था जो अलग थे।

स्वयं क्लब से। हमारी राय में, न्यायाधिकरण निर्णय लेने में सही था कि क्लब को एक सीमित कंपनी के रूप में शामिल करने की परिस्थिति महत्वपूर्ण नहीं है। यह सच है कि अनुबंध कानून के उद्देश्यों के लिए और मुकदमा करने या मुकदमा किए जाने के उद्देश्यों के लिए, निगमन का तथ्य क्लब को एक अलग कानूनी इकाई बनाता है; लेकिन, यह तय करने में कि क्लब एक उद्योग है या नहीं, हम अपने निर्णय को ऐसी कानूनी तकनीकीताओं पर आधारित नहीं कर सकते हैं। हमें जो देखना है वह प्रकृति है

वास्तव में और सार में गतिविधि। हालांकि क्लब है एक कंपनी के रूप में निगमित, यह व्यवसाय करने के उद्देश्य से गठित एक साधारण कंपनी की तरह नहीं है। कोई शेयरधारक नहीं हैं। लाभांश की घोषणा कभी नहीं की जाती है और न ही लाभ का वितरण किया जाता है। क्लब में प्रवेश प्रवेश शुल्क के भुगतान से होता है न कि शेयरों की खरीद से। यहां तक कि यह स्वीकारोक्ति भी मतदान के अधीन है। सदस्यता शेयरधारकों के अधिकार की तरह हस्तांतरणीय नहीं है। एक सदस्य को कुछ परिस्थितियों में निष्कासित करने का प्रावधान है जो एक सीमित कंपनी में शेयर धारक के मामले में कभी भी मौजूद नहीं है।

पश्चिम बंगाल की तिथि v. कलकत्ता क्लब लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

सदस्यता तरल है। एक व्यक्ति तब तक अधिकार रखता है जब तक वह एक सदस्य के रूप में बना रहता है और जब वह सदस्य नहीं रह जाता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता है, भले ही उसने प्रवेश शुल्क के रूप में बड़ी राशि का भुगतान किया हो। वह निष्कासन पर अपना अधिकार भी खो देता है। इन परिस्थितियों में, यह स्पष्ट है कि क्लब को व्यवसाय करने वाली सीमित कंपनी की प्रकृति की एक अलग कानूनी इकाई के रूप में नहीं माना जा सकता है। वास्तव में, क्लब बिना किसी शेयरधारक के एक सदस्य क्लब बना हुआ है और इसके परिणामस्वरूप, सदस्यों के लिए क्लब में प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं को स्वयं की गतिविधियों के रूप में माना जाना चाहिए।

सेवा करने वाली संस्था "।

29. क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में बताए गए मतभेदों को देखते हुए

क) कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत कंपनियों के रूप में पंजीकृत क्लबों और अन्य कंपनियों के बीच, यह स्पष्ट है कि बाचा एफ. गुज़दार (ऊपर) में अनुपात निर्णय ऐसे लोगों पर लागू नहीं होगा जिनके पास कोई शेयरधारक नहीं है, कोई लाभांश घोषित नहीं है, और न हीलाभ हो रहा है। इसलिए, ऐसे क्लबों को उनके सदस्यों द्वारा कानून में समान नहीं माना जा सकता है।

30. क्लबों पर लागू पारस्परिकता का सिद्धांत विस्तृत रूप से है

बैंगलोर क्लब बनाम में चर्चा की गई। आयकर आयुक्त और एन. आर. (2013) 5 एससीसी 509। इस तथ्य पर चर्चा करते हुए कि सदस्यों के क्लबों में योगदानकर्ताओं और सदस्यों के बीच एक पूर्ण पहचान है।

प्रतिभागियों, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 16. सिद्धांत के इस पहलू पर, विशेष रूप से गैर-सदस्यों के संबंध में, हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, चौथा संस्करण। , रीइश्यू, वॉल्यूम। 23 , पैरा 222 और 224 (पृ. 152 और 154) कहते हैं: " 222.पारस्परिक व्यापार की सामान्य विशेषताएं। जहां व्यापार

या गतिविधि पारस्परिक है, यह तथ्य कि कुछ गतिविधियों के संबंध में, केवल संघ के कुछ सदस्य इसका लाभ उठाते हैं

जो सुविधाएँ यह प्रदान करता है वे पारस्परिकता को प्रभावित नहीं करती हैं उद्यम।

***

224.क्लब, आदि-सदस्यों के क्लब आपसी सहयोग का एक उदाहरण हैं। उपक्रम; लेकिन, जहां एक क्लब गैर-सदस्यों को सुविधाएं प्रदान करता है,

उस हद तक पारस्परिकता का तत्व वांछित है। ”

17.साइमन्स टैक्स, वॉल्यूम। बी, तीसरा संस्करण। , पारस बी 1.218 और बी 1.222 (पीपी। 159 और 167) इस बिंदु पर कानून तैयार करते हैं, इस प्रकार:

आवश्यकता से अधिक साबित हुआ। इस तरह के अधिशेष को उनका अपना धन माना जाता है और उन्हें वापस किया जा सकता है। पारस्परिकता के इस छूट तत्व के अस्तित्व में रहने के लिए यह आवश्यक है कि लाभ किसी समय और किसी रूप में उन व्यक्तियों को वापस आने में सक्षम होना चाहिए जिन्हें माल बेचा गया था या प्रदान की गई सेवाएं।

***

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक सदस्य (और स्वामित्व नहीं) क्लब का संचालन करने वाली कंपनी, कंपनी और क्लब के सदस्य समान होने के कारण, कोई व्यापार या व्यवसाय नहीं कर रहे थे या पूर्व निगम लाभ कर के प्रयोजनों के लिए एक समान चरित्र का उपक्रम।

***

हालांकि, सदस्यों का क्लब लाभ के संबंध में आकलन योग्य है।

गैर-सदस्यों को इसकी सुविधाएँ प्रदान करने से प्राप्त। इस प्रकार, कार्लिस्ले और सिलोथ गोल्फ क्लब बनाम। स्मिथ (कर सर्वेक्षक) [(1913) 3 के. बी. 75 (सी. ए.)], जहाँ एक सदस्य गोल्फ क्लब ने गैर-सदस्यों को हरित शुल्क के भुगतान पर खेलने के लिए स्वीकार किया था, यह माना गया था कि यह एक ऐसा व्यवसाय कर रहा था जिसे अलग और परिभाषित किया जा सकता था, और जिसका लाभ आयकर के लिए आकलन योग्य था। लेकिन लाभ उठाने वाले सदस्यों से किए गए लाभ के संबंध में कोई देयता नहीं है।

सदस्यों के लिए प्रदान की गई सुविधाओं के बारे में "।

18. संक्षेप में, प्रतिभागियों के वर्ग और योगदानकर्ताओं के वर्ग के बीच एक पूरी पहचान होनी चाहिए; विशेष लेबल या रूप जिसके द्वारा पारस्परिक संबंध जाना जाता है, वह नहीं है।

परिणाम। कंगा और पालखीवाला ने द लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स (8वीं संस्करण, खंड) में इस अवधारणा की व्याख्या की है। आई, 1990) पी। 113 इस प्रकार हैः

" 1.योगदानकर्ताओं और प्रतिभागियों के बीच पूर्ण पहचान। ..... साझा कोष में योगदानकर्ता और प्रतिभागी पश्चिम बंगाल की तिथि v.

कलकत्ता क्लब लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अधिशेष में एक समान निकाय होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि

अधिशेष से ठीक वही वापस करें जो उन्होंने भुगतान किया है। ' मद्रास, आंध्र प्रदेश और केरल उच्च न्यायालयों ने माना है कि पारस्परिकता की कसौटी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सामान्य निधि में योगदानकर्ताओं को स्वेच्छा से अतिरिक्त राशि को आपस में वितरित करना चाहिए: यह पर्याप्त है यदि उन्हें अधिशेष पर निपटान का अधिकार है, और उस अधिकार का प्रयोग करते हुए वे इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि अधिशेष को समाप्त करने पर इसी तरह के संघ को हस्तांतरित किया जाएगा या कुछ के लिए उपयोग किया जाएगा। धर्मार्थ वस्तुएँ "।

रॉलेट, थॉमस (कर निरीक्षक) बनाम में जे. की टिप्पणियाँ। एआरडी इवांस एंड कंपनी लिमिटेड (1927) 1 के. बी. 33 को तब कहा जाता था

बनाम ○:

" ..... लेकिन एक कंपनी अपने सदस्यों से लाभ कमा सकती है

ग्राहक, हालांकि इसके ग्राहकों की सीमा इसके लिए सीमित है शेयरधारक। यदि कोई रेलवे कंपनी अपने माल का वहन करके लाभ कमाती है

शेयरधारक, या यदि एक व्यापारिक कंपनी, के साथ व्यापार करके

शेयरधारक भले ही उनके साथ व्यापार करने तक सीमित हों, लाभ कमाते हैं, वह लाभ एक अर्थ में शेयरधारकों का होता है, लेकिन यह

यह उनके शेयरधारकों से संबंधित है। वापस नहीं आता है उन्हें खरीदारों या ग्राहकों के रूप में; यह उनके पास वापस आता है

भाग लेने वाले पॉलिसी-धारक और इसे उनके लाभ के लिए लागू करें वही लोग, कंपनी में शेयरधारकों के रूप में नहीं, बल्कि उन लोगों के रूप में जिन्होंने इसे सदस्यता दी, फिर, जैसा कि मैं स्टाइल्स मामले को समझता हूं [न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। स्टाइल्स (कर सर्वेक्षणकर्ता), (1889) एल. आर. 14

एसी 381: (1886-90) सभी ई. आर. प्रतिनिधि विस्तार 1362: (1889) 2 टी. सी. 460 (एच. एल.)] कोई लाभ नहीं है। यदि लोग अपने लिए काम करते हैं, तो कोई लाभ नहीं होगा, और तथ्य यह है कि वे एक कानूनी को शामिल करते हैं

उनके लिए ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता; फिर भी कोई लाभ नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी की इकाई की उपेक्षा की जानी चाहिए;

ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई लाभ नहीं है, पैसा केवल उन लोगों से एकत्र किया जा रहा है और उन्हें वापस सौंप दिया जा रहा है, शेयरधारकों के चरित्र में नहीं, बल्कि उन लोगों के चरित्र में जिन्होंने इसे भुगतान किया है। यह, जैसा कि मैं समझता हूं [यह], स्टाइल्स [2019] 15 एस. सी. आर. में निर्णय का प्रभाव है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला [न्यूयॉर्क जीवन बीमा कंपनी बनाम। स्टाइल्स (करों का सर्वेक्षक), (1889) एलआर 14 एसी 381: (1886-90) सभी ई. आर. प्रतिनिधि विस्तार 1362: (1889) 2 टी. सी. 460 (एच. एल.)] "।

इन टिप्पणियों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि यदि व्यक्ति एक

कुछ गतिविधि इस तरह से कि गतिविधि में धन के योगदानकर्ताओं और प्रतिभागियों के बीच एक समानता हो, एक पूर्ण पहचान हो फिर दोनों के बीच स्थापित किया जाता है। इस पहचान को इसलिए नहीं तोड़ा जाता है क्योंकि सामान्य निधि से उत्पन्न होने वाला अधिशेष उनके बीच वितरित नहीं किया जाता है।

सदस्य-यह पर्याप्त है कि अधिशेष पर निपटान का अधिकार है, और उस अधिकार का प्रयोग करते हुए वे इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि समाप्त होने पर, अधिशेष को इसी तरह के किसी क्लब या संघ को हस्तांतरित किया जाएगा।

गतिविधियाँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अधिशेष बनाया जाता है वह क्लब के सदस्यों को उनके शेयरों पर लाभांश के रूप में कंपनी के शेयरधारकों के रूप में वापस नहीं आता है। चूँकि सदस्य क्लब की गतिविधियों को अपने लिए करते हैं, यह तथ्य कि वे ऐसा करने के लिए एक कानूनी इकाई को शामिल करते हैं इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस निर्णय के बाद इस न्यायालय ने आयकर अधिकारी, मुंबई बनाम. वेंकटेश प्रिमाइसेस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (2018) 15 एस. सी. सी. 37. इसलिए, इस सिद्धांत को लागू करने में जो सार है वह यह है कि दो व्यक्तियों के बीच कोई बिक्री लेनदेन नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति खुद को माल नहीं बेच सकता है।

31 अब जो विचार-विमर्श के लिए उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या 46 वां

33. स्पष्ट रूप से, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स ने यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन (उपरोक्त) के मामले को अपने लेख में नहीं पढ़ा है। सही दृष्टिकोण। जैसा कि ऊपर देखा गया है, यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन (उपरोक्त) के समक्ष तीन अलग-अलग अपीलें थीं, जिनमें से एक में एक कंपनी शामिल थी। इसलिए, यह कहना कि पश्चिम बंगाल राज्य के तहत v.

कानून जैसा कि 46 वें संशोधन की तारीख को था, सदस्यों को कॉर्पोरेट दर्जा रखने वाले क्लब द्वारा वस्तुओं की बिक्री कर योग्य है, पूरी तरह से गलत है। इस गलत आधार पर आगे बढ़ते हुए, 46 वें संशोधन ने उन क्लबों द्वारा कर बिक्री को लाने की मांग की, जिनका अपने सदस्यों से अलग अस्तित्व नहीं है। ऐसा करने में, 46 वें संशोधन ने "किसी भी अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय" अभिव्यक्ति का उपयोग किया। इस अभिव्यक्ति को, जब उद्देश्यों और कारणों के विवरण के साथ पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट होता है कि केवल वे क्लब थे जो कॉर्पोरेट रूप में नहीं हैं जिन्हें कर के दायरे में लाने की मांग की गई थी, क्योंकि यह गलत तरीके से माना गया था कि सदस्यों के क्लबों द्वारा कॉर्पोरेट रूप में माल की बिक्री कर योग्य थी। कोई भी "सभी" के बराबर है। इसलिए, यह शब्द भी खुद को उधार देता है उपरोक्त व्याख्या, क्योंकि विधायिका का जोर सभी अनिगमित संघों या निकायों को इसके भीतर लाने पर है।

उपखंड (ई)।

34. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विधायिका के इरादे के बारे में श्री द्विवेदी के वाक्पटु तर्क के अनुसार भी, जैसा कि उस उद्देश्य के माध्यम से देखा जाता है जिसे विधायिका प्राप्त करना चाहती थी, उपरोक्त की ओर ले जाएगा।

अभिव्यक्ति केवल उन क्लबों पर लागू होती है जो निगमित रूप में नहीं थे।

35. अन्यथा भी, इस धारणा पर कि "अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय" को अलग-अलग पढ़ा जाना चाहिए, "व्यक्तियों के निकाय" को "व्यक्ति" के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। व्यक्ति "जैसा कि सामान्य खंड अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है, (जो इसकी व्याख्या पर लागू होता है) संविधान के अनुच्छेद 367 के अनुसार) इस प्रकार हैः

XXX XXX XXX

(42) " व्यक्ति में कोई भी कंपनी या संघ या निकाय शामिल होगा।

व्यक्तियों का, चाहे वह निगमित हो या नहीं;

अनुच्छेद 366 (29-ए) इस अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करता है, क्योंकि "व्यक्ति" में तब निगमित व्यक्ति भी शामिल होंगे। दूसरी ओर, "व्यक्तियों के निकाय" का उपयोग यह स्पष्ट करने के लिए किया जाता है कि कॉर्पोरेट व्यक्तियों का उल्लेख नहीं किया जाता है।

36. आयकर अधिनियम, 1961 जैसे अन्य अधिनियमों में "व्यक्ति" की परिभाषा भी बहुत व्यापक है, और इसमें व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल है, चाहे वह निगमित हो या नहीं-आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 (31) देखें। काफी स्पष्ट रूप से, यह भाषा "व्यक्ति" [2019] 15 एस. सी. आर. की परिभाषा के रूप में उपलब्ध थी और विधायिका द्वारा आम उपयोग में थी।

आयकर अधिनियम के तहत यह 1961 से कानून की पुस्तक में है। आयकर अधिनियम, 1961 और अनुच्छेद 366 (29 ए) (ई) की भाषा में विरोधाभास एक बार फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि "व्यक्तियों का निकाय" तब तक निगमित रूप को संदर्भित नहीं करेगा जब तक कि "व्यक्ति" के साथ "चाहे निगमित हो या नहीं" अभिव्यक्ति न हो।

37. अन्यथा भी, एक असंबद्ध द्वारा माल की "आपूर्ति"

एसोसिएशन या व्यक्तियों के निकाय को नकद, विलंबित भुगतान या अन्य मूल्यवान विचार के लिए किसी सदस्य के पास होना चाहिए। जैसा कि श्री जयदीप गुप्ता ने सही तर्क दिया है, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2 (डी) में "विचार" की परिभाषा अनिवार्य रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पारित करने पर विचार करती है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 में "विचार" की परिभाषा इस प्रकार हैः

" 2. व्याख्या-खंड। - इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों का उपयोग निम्नलिखित अर्थों में किया गया है, जब तक कि इसके विपरीत न हो।

इरादा संदर्भ से प्रकट होता हैः

XXX XXX XXX

(घ) जब वचनदाता की इच्छा पर, वचनदाता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ करता है या करने से परहेज करता है, या करता है या करने से परहेज करता है, या कुछ करने या करने से परहेज करने का वादा करता है, तो ऐसा कार्य या संयम या वादा वादा के लिए एक विचार कहा जाता है।

जैसा कि 'पोलक एंड मुल्ला, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट' में बताया गया है, 'मूल्यवान विचार' शब्द का प्रयोग किया गया है।

(16) ', एक पुराने अंग्रेजी मामले करी बनाम से लिया गया है। मीसा (1875) एल. आर. 10 ई. एक्स. 153, और निम्नानुसार समझायाः

" कानून के अर्थ में एक मूल्यवान विचार, शामिल हो सकता है

या तो किसी एक पक्ष को प्राप्त किसी अधिकार, ब्याज, लाभ या लाभ में, या किसी सहनशीलता, हानि, हानि या जिम्मेदारी में,

पीड़ित, या दूसरे द्वारा किया गया।

उपरोक्त परिभाषा पारस्परिकता के विचार को विशिष्ट चिह्न के रूप में सामने लाती है; यह निःस्वार्थ वादा है जो है

अंग्रेजी कानून में अप्रवर्तनीय "।

38. इसे अनुच्छेद 366 (29 ए) के अंतिम भाग द्वारा और मजबूत किया गया है, क्योंकि इस भाग के तहत, ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति को आपूर्ति करने वाले व्यक्ति द्वारा उन वस्तुओं की बिक्री माना जाएगा, और पश्चिम बंगाल राज्य की खरीद v.

39. लेकिन, श्री द्विवेदी कहते हैं, भले ही उपखंड (ई) लागू नहीं होता है, उपखंड (एफ) लागू होगा, इसकी भाषा की चौड़ाई को देखते हुए। यहाँ फिर से, यह स्पष्ट है कि उपखंड (च) का कारण, जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है, दो को समाप्त करना है।

इस न्यायालय के निर्णय, अर्थात् पंजाब राज्य बनाम। एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया लिमिटेड ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 1131 और उत्तरी भारत केटरर्स

(इंडिया) लिमिटेड (ऊपर)।

40. यह न केवल उद्देश्यों के कथन से स्पष्ट है और

धारा 6 (1) (ए) विशेष रूप से उपरोक्त दो सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के लिए संदर्भित लेनदेन को संदर्भित करती है। छूट का प्रावधान इस मामले को सामने रखता है सन्देह से परे। संशोधन अधिनियम की धारा 6 (2) इस प्रकार हैः

" ..... (2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उसमें निर्दिष्ट प्रकृति की किसी भी आपूर्ति को छूट दी जाएगी - उपरोक्त कर

((क) जहां ऐसी आपूर्ति किसी भोजनालय या भोजनालय (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए) द्वारा 7 सितंबर, 1978 को या उसके बाद किसी भी समय और इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले की गई हो और ऐसी आपूर्ति पर उपरोक्त कर इस आधार पर एकत्र नहीं किया गया हो कि ऐसा कोई कर नहीं लगाया जा सकता था।

या उस समय एकत्र किया गया; या

((ख) जहां ऐसी आपूर्ति, किसी के द्वारा ऐसी कोई आपूर्ति नहीं है।

रेस्तरां या खाने का घर (चाहे किसी भी नाम से जाना जाए), 4 जनवरी, 1972 को या उसके बाद और इस अधिनियम और उपरोक्त कर [2019] 15 एस. सी. आर. के प्रारंभ से पहले किसी भी समय बनाया गया है।

ऐसी आपूर्ति पर इस आधार पर संग्रह नहीं किया गया है कि उस समय ऐसा कोई कर नहीं लगाया या एकत्र नहीं किया जा सकता थाः

बशर्ते कि यह साबित करने का भार कि उपरोक्त कर खंड में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी भी आपूर्ति पर एकत्र नहीं किया गया था (क) या, जैसा भी मामला हो, खंड (ख) व्यक्ति पर होगा।

इस उप-धारा के तहत छूट का दावा करना।

41.उपखंड (ए) 7 सितंबर, 1978 को संदर्भित करता है, जो वह तारीख है जिस पर उत्तर भारत केटरर्स (उपरोक्त) का उच्चारण किया गया था और उप-खंड (ए) 7 सितंबर, 1978 को संदर्भित करता है।

खंड (ख) 4 जनवरी, 1972 को संदर्भित करता है, जो वह तिथि है जिस दिन एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया लिमिटेड (उपर्युक्त) की घोषणा की गई थी। इसलिए 46 वां संशोधन अधिनियम, जब इसे समग्र रूप से पढ़ा जाएगा, तो यह स्पष्ट हो जाएगा।

कि अनुच्छेद 366 (29-ए) (एफ) केवल उपरोक्त दो निर्णयों को पूर्ववत करने के लिए संदर्भित करता है, विषय वस्तु होटल और रेस्तरां में परोसे जाने वाले भोजन या पेय की करयोग्यता है। इस मामले में, यह स्पष्ट है कि सदस्यों के क्लबों में परोसे जाने वाले भोजन या पेय की करयोग्यता उपखंड (च) का विषय नहीं है।

42. एक अन्य दृष्टिकोण से देखने पर, एक सदस्य क्लब उन वस्तुओं की आपूर्ति कर सकता है जो भोजन या पेय नहीं हैं-उदाहरण के लिए, साबुन, सौंदर्य प्रसाधन और अन्य घरेलू सामान। ये वस्तुएँ "वस्तुएँ" होंगी, लेकिन

उपखंड (च) के भीतर नहीं होना-भोजन या पेय नहीं होना, और इसलिए, उपखंड (च) के तहत कर नहीं लगाया जा सकता है, जिससे सदस्यों के क्लबों में भोजन और पेय की आपूर्ति कर योग्य होने की बेतुकी स्थिति पैदा हो जाती है, और

ऐसे क्लबों में अन्य वस्तुओं का कर दायरे से बाहर होना। इस कारण से भी, यह स्पष्ट है कि उपखंड (च) की विषय वस्तु उपखंड (ङ) से पूरी तरह से अलग और अलग है, और संभवतः सदस्यों के क्लबों पर लागू नहीं हो सकती है। मामले के इस दृष्टिकोण में, अभिव्यक्ति "किसी भी तरह से" जो भी हो, उपखंड (च) का अभिन्न अंग होने के नाते सभी वस्तुओं की आपूर्ति का विस्तार नहीं किया जा सकता है ताकि सदस्यों के क्लबों पर लागू होने पर ऐसी वस्तुओं पर कर लगाया जा सके।

43. इस न्यायालय के निर्णयों में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि उपखंड (च) की विषय वस्तु होटलों में आपूर्ति किए जाने वाले भोजन और पेय से संबंधित है और

उपखंड (च) की काल्पनिक कल्पना केवल इस न्यायालय के कुछ निर्णयों को प्राप्त करने के लिए पेश की जा रही है। के. दामोदरसामी नायडू एंड ब्रदर्स में। और ओआरएस। वी. टी. एन. और ए. एन. आर. राज्य (2000) 1 एस. सी. सी. 527, इस न्यायालय ने अनुच्छेद 366 (29-ए) (एफ) को निम्नानुसार संदर्भित कियाः

" 9. अनुच्छेद 366 के खंड (29-ए) के उपखंड (एफ) के प्रावधानों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। उपखंड () राज्यों को पश्चिम बंगाल v के बारे में बताने की अनुमति देता है।

कल्कुट्टा क्लब लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

खाद्य और पेय की आपूर्ति पर कर अधिरोपित करना। आपूर्ति किसी सेवा के माध्यम से या सेवा के हिस्से के रूप में हो सकती है या यह किसी अन्य तरीके से भी हो सकती है। आपूर्ति या सेवा नकद या विलंबित भुगतान या अन्य मूल्यवान विचार के लिए हो सकती है। शब्द हैं।

अधिकांश राज्यों के बिक्री कर अधिनियमों में उपखंड (च) का स्थान पाया गया है और जैसा कि हमने देखा है, उनका उपयोग उक्त तमिलनाडु अधिनियम में किया गया है। इसलिए, कर भोजन या पेय की आपूर्ति पर है और यह प्रासंगिक नहीं है कि आपूर्ति एक के माध्यम से है

सेवा के रूप में या सेवा के हिस्से के रूप में। इसलिए, हमारे विचार में, रेस्तरां में भोजन की आपूर्ति के लिए ग्राहक द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमत को विद्वान सलाहकार द्वारा सुझाए गए अनुसार विभाजित नहीं किया जा सकता है। रेस्तरां-मालिक द्वारा ग्राहक को भोजन की आपूर्ति, हालांकि यह उस सेवा का एक हिस्सा हो सकता है जो वह अच्छा फर्नीचर, साज-सज्जा और फिक्स्चर, लिनन, क्रॉकरी और कटलरी, संगीत, एक डांस फ्लोर और एक फ्लोर शो प्रदान करके प्रदान करता है, जो शुल्क का विषय है। एक फैंसी रेस्तरां का संरक्षक जो चीज़ सैंड विच की एक प्लेट का ऑर्डर देता है, जिसकी कीमत किराए के बिल पर 50 रुपये दिखाई देती है, वह अच्छी तरह से जानता है कि प्लेट में रोटी, मक्खन, सरसों और चीज़ की जन्मजात कीमत बहुत कम है, लेकिन वह इसे वही ऑर्डर करता है। वह इसकी आपूर्ति के लिए 50 रुपये का भुगतान करता है और यह 50 रुपये पर है कि रेस्तरां

मालिक पर कर लगाया जाना चाहिए।

44. इस न्यायालय के हाल के एक फैसले में, फेडरेशन ऑफ होटल एंड ऑरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम. भारत संघ और ओआरएस। (2018) सी 97, इस न्यायालय ने उप के अधिनियमन के कारण का उल्लेख किया

ई (एफ) निम्नानुसार हैः

" 11. जैसा कि एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया लिमिटेड में निर्णयों की त्रयी में कहा गया है। एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, (1972) 1 एस. सी. सी. 472] और दो उत्तरी भारत सी. ए. टेरर्स (इंडिया) लिमिटेड। राज्य (केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली), (1978) 4 एस. सी. सी. 36: 1978 एस. सी. सी. (कर) 198: (1979) 1 एस. सी. आर. 557] [उत्तरी भारत कैटरर्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम। राज्य (केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली), (1980) 2 एस. सी. सी. 167: 1980 एस. सी. सी. (कर) 222], यह स्पष्ट है कि जब भोजन और पेय पदार्थों की "बिक्री" होटलों और रेस्तरां में होती है, तो वास्तव में भोजन और पेय पदार्थों की बिक्री के साथ सेवा का एक अविभाज्य अनुबंध होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है।

"सेवा तत्व", जो कि प्रमुख तत्व है, को "बिक्री तत्व" से विभाजित करना संभव है, यह स्पष्ट है कि इस तरह के समग्र अनुबंध बिक्री कर कानून का विषय नहीं हो सकते हैं, जैसे कि

उन निर्णयों में आयोजित किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. इन निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, संसद ने संशोधन किया

संविधान और संविधान की शुरुआत (छियालिसवां)

संशोधन) अधिनियम, जिसके द्वारा उसने अनुच्छेद 366 (29-ए) पेश किया। उपखंड (च), जिससे हम सीधे संबंधित हैं, इस प्रकार हैः

" 366. (29 - ए) (एफ) आपूर्ति पर कर, के माध्यम से या इसके हिस्से के रूप में

माल की कोई सेवा या किसी अन्य तरीके से,

मानव उपभोग के लिए भोजन या कोई अन्य वस्तु या कोई पेय (चाहे वह मादक हो या न हो), जहां ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए है, और

किसी भी माल के हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति को एक माना जाएगा

हस्तांतरण, वितरण या वितरण करने वाले व्यक्ति द्वारा उन वस्तुओं की बिक्री

उस व्यक्ति द्वारा उन वस्तुओं की आपूर्ति और खरीद जिसे ऐसा हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति की जाती है।

भोजन या अन्य वस्तुओं की किसी भी सेवा के माध्यम से या उसके हिस्से के रूप में आपूर्ति मानव उपभोग के लिए अब माल की बिक्री माना जाता है

हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति करने वाला व्यक्ति। 45. कि पारस्परिकता के सिद्धांत को समाप्त नहीं किया गया है

ख-खंड (ङ) तब भी स्पष्ट होता है जब उप-खंड (ङ) का आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों में विरोधाभास होता है। संविधान की धारा 2 (24) (vii)

कर अधिनियम, 1961 इस प्रकार हैः

XXX XXX XXX (vii) बीमा के किसी भी व्यवसाय के लाभ और लाभ

एक पारस्परिक बीमा कंपनी या एक सहकारी समिति द्वारा,

धारा 44 के अनुसार संगणित या लिया गया कोई अधिशेष

में निहित प्रावधानों के आधार पर ऐसे लाभ और लाभ हों पहली अनुसूची "

इसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44 के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

एच निम्नानुसार पढ़ता हैः

" 44. बीमा व्यवसाय। - कुछ भी होने के बावजूद इस अधिनियम के प्रावधानों में निहित इसके विपरीत

"प्रतिभूतियों पर ब्याज", "गृह संपत्ति से आय", "पूंजीगत लाभ" शीर्ष के तहत प्रभार्य आय की गणना या

" अन्य स्रोतों से आय, या धारा 199 या धारा 28 से 43 ख में, बीमा के किसी भी व्यवसाय के लाभ और लाभ,

पारस्परिक बीमा द्वारा किए गए ऐसे किसी भी व्यवसाय को शामिल करते हुए

कंपनी या एक सहकारी समिति द्वारा गणना की जाएगी

पहली अनुसूची में निहित नियमों के अनुसार।

अनुच्छेद 366 (29-ए) के उपखंड (ई) में ऐसी किसी भी भाषा का उल्लेख करना भी इस तथ्य का एक महत्वपूर्ण संकेत है कि पारस्परिकता के सिद्धांत को उक्त 46 वें संशोधन द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। 47. वास्तव में, धारा 2 (24) (vii) को वेंकटेश प्रिमाइसेस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (उपरोक्त) में स्पष्ट रूप से देखा गया है

निम्नलिखित हैः

" 14. पारस्परिकता का सिद्धांत, सामान्य कानून के सिद्धांतों पर आधारित,

यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि कोई व्यक्ति स्वयं से लाभ नहीं कमा सकता है। इसलिए स्वयं से प्राप्त राशि को आय और कर योग्य नहीं माना जा सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 2 (24) कर योग्य आय को परिभाषित करती है। एक सहकारी समिति की आय व्यवसाय से धारा 2 (24) (vii) के तहत कर योग्य है और रहेगा

पारस्परिकता के सिद्धांत से बाहर रखा गया "।

48. इसके अलावा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 45 (2) एक ऐसे प्रावधान का एक उदाहरण है जिसके द्वारा एक व्यक्ति द्वारा स्वयं को एक मानित हस्तांतरण प्राप्त होता है।कर लगाया। धारा 45 (2) इस प्रकार हैः

" 45. पूँजीगत लाभ।

XXX XXX XXX (2)

उप-धारा (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, द्वारा रूपांतरण के माध्यम से हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले लाभ और लाभ

[2019] 15 एस. सी. आर. में किसी पूंजीगत परिसंपत्ति का स्वामी या उसके द्वारा स्टॉक के रूप में व्यवहार।

उसके द्वारा किए गए व्यवसाय का व्यापार इसके लिए प्रभार्य होगा -

आय-कर उस पूर्ववर्ष की उसकी आय के रूप में जिसमें उसके द्वारा ऐसे स्टॉक-इन-ट्रेड को बेचा जाता है या अन्यथा हस्तांतरित किया जाता है और धारा 48 के प्रयोजनों के लिए, ऐसे रूपांतरण या उपचार की तारीख को संपत्ति का उचित बाजार मूल्य निम्नलिखित के परिणामस्वरूप प्राप्त या उपार्जित प्रतिफल का पूरा मूल्य माना जाएगाः पूँजी
परिसंपत्ति का हस्तांतरण।

इस प्रावधान से यह देखा जा सकता है कि पूंजी परिसंपत्ति के मालिक द्वारा पूंजी परिसंपत्ति में परिवर्तन के माध्यम से हस्तांतरण से होने वाले लाभ या लाभ, या

उसके द्वारा किसी व्यवसाय के स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में इसका व्यवहार, इस तथ्य के बावजूद कि किसी पूंजीगत संपत्ति के मालिक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कानूनी रूप से कोई हस्तांतरण नहीं किया जाता है, कर में लाए गए एक काल्पनिक कल्पना द्वारा किया जाता है। कर राशि लाने के लिए इस तरह के तरीके जो पारस्परिकता के किसी भी सिद्धांत को समाप्त कर देंगे, अनुच्छेद की भाषा में उनकी अनुपस्थिति से स्पष्ट हैं।

366 (29 - ए) (ई)।

49. हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसके आलोक में यह अनावश्यक है कि

श्री द्विवेदी के तर्कों का प्रचार करें कि पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिनियम की धारा 2 (10) का स्पष्टीकरण (1) एक स्वतंत्र प्रावधान है और शास्त्रीय अर्थों में स्पष्टीकरण नहीं है। इसलिए हम पश्चिम बंगाल राज्य बनाम खंड पीठ द्वारा पूछे गए तीन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कलकत्ता क्लब लिमिटेड (ऊपर) इस प्रकार हैः

(1) पारस्परिकता का सिद्धांत निगमित और अनिगमित सदस्यों के क्लबों पर लागू होना जारी है

46 भारतीय संविधान में अनुच्छेद 366 (29-ए) जोड़ना।

(2) यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन (ऊपर) और अन्य

इस सिद्धांत को लागू करने वाले निर्णय 46 वें संशोधन के बाद भी इस क्षेत्र में बने हुए हैं।

(3) अनुच्छेद 366 (29-ए) का उपखंड (एफ) सदस्यों के क्लबों पर लागू नहीं होता है।

50. 3 जुलाई, 2006 के पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण के निर्णय और आदेश और 1 फरवरी, 2008 के कलकत्ता उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को देखने के बाद और वर्तमान तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेजे गए तीन प्रश्नों के उत्तरों को ध्यान में रखते हुए ऊपर सूचीबद्ध), हमारा विचार है कि इस मामले में तथ्य के निष्कर्षों या कानून की घोषणा में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, 2009 की सी. ए. सं. 4184 खारिज की जाती है।

51. देरी को माफ कर दिया गया। छुट्टी दी जाती है।

इस न्यायालय ने इन अपीलों को सूचीबद्ध किया जिन पर सेवा कर लगाया गया था सदस्यों के क्लब इस प्रकार हैंः

" इन मामलों में शामिल मुद्दे को बड़ी पीठ को भेजा गया है और संदर्भ आदेश को 'पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य' के रूप में सूचित किया गया है। वी. कलकत्ता क्लब लिमिटेड '[2017 (5) एस. सी. सी. 356] [सिविल अपील

2009 का सं. 4184]।

इन अपीलों को भी माननीय से आदेश लेने के बाद उपरोक्त मामले के साथ बड़ी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।

भारत के मुख्य न्यायाधीश "।

53. मुख्य रूप से राजस्व द्वारा हमारे समक्ष दो निर्णयों का विरोध किया गया है; एक 15 मार्च, 2012 को 2007 के डब्ल्यू. पी. (टी) <आई. डी. 1 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा और दूसरा एस. सी. ए. में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा। नं. 13654-13656 2005 का दिनांक 25 मार्च, 2013। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 15 मार्च, 2012 को दिए गए विवादित फैसले में वित्त अधिनियम, 1994 (जिसे इसके बाद "वित्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) के प्रासंगिक प्रावधानों को निर्धारित किया गया है, जिसके द्वारा सदस्यों के क्लबों पर सेवा कर लगाया गया था, और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऐसे क्लब स्वामित्व वाले क्लबों से अलग हैं, जैसा कि यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन (उपरोक्त) में आयोजित किया गया है। उच्च न्यायालय ने

निम्नलिखित यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन (सुप्रा) ने तब यह कहते हुए आयोजित कियाः

" 18. हालाँकि, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि बिक्री और सेवा अलग-अलग हैं। यह सच है कि बिक्री और सेवा दो अलग-अलग और अलग-अलग लेनदेन हैं। बिक्री में संपत्ति का हस्तांतरण होता है जबकि सेवा में संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं होता है। हालाँकि, दोनों लेन-देनों में सामान्य बुनियादी विशेषता के लिए दोनों पक्षों के अस्तित्व की आवश्यकता होती है; बिक्री के मामले में, विक्रेता और खरीदार, और सेवा के मामले में, सेवा प्रदाता और सेवा प्राप्तकर्ता। चूंकि इस मुद्दे पर कि क्या सदस्यों के क्लब की गतिविधियों में दो व्यक्ति या दो कानूनी इकाई हैं, पहले से ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा ऊपर निर्दिष्ट मामलों में विचार और निर्णय लिया जा चुका है, [2019] 15 एस. सी. आर.

इसलिए, यह मुद्दा अब एकीकृत नहीं है और इस मुद्दे का जवाब रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में दिया जाना है और यह माना जा सकता है कि पारस्परिकता को देखते हुए और क्लब की गतिविधियों को देखते हुए, यदि क्लब अपने सदस्यों को किसी भी रूप में कोई सेवा प्रदान करता है, जिसमें मंडप कीपर के रूप में भी शामिल हो सकता है, तो यह किसी के द्वारा की गई सेवा नहीं है।

ऊपर उल्लिखित निर्णयों के आलोक में एक और

इस प्रकार की दो कानूनी संस्थाओं के अस्तित्व के मूलभूत तथ्य लेन-देन गायब है। हालाँकि, जहाँ तक सदस्यों के अलावा अन्य लोगों के लिए क्लब की सेवाओं का सवाल है, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि वे कर का भुगतान कर रहे हैं।

19. इसलिए, इस रिट याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए और यह है

अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता-क्लब द्वारा अपनी सेवा प्रदान करना सदस्य वित्त अधिनियम, 1994 के तहत कर योग्य सेवा नहीं है और याचिकाकर्ता की रिट याचिका को तदनुसार अनुमति दी जाती है।

54. इसी तरह, गुजरात उच्च न्यायालय ने दिनांकित निर्णय द्वारा

25 मार्च, 2013 में झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले का पालन किया गया और निम्नलिखित घोषित किया गयाः

" 8. नतीजतन, इन याचिकाओं की अनुमति दी जाती है और यह इसके द्वारा है घोषणा की कि वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1994 की धारा 65 (25 ए), धारा 65 (105) और धारा 66 को इसके द्वारा निगमित/संशोधित किया गया है।

वित्त अधिनियम, 2005 इस हद तक कि उक्त प्रावधान

सेवाओं के संबंध में कथित रूप से सेवा कर लगाने का तात्पर्य

याचिकाकर्ता क्लब द्वारा अपने सदस्यों को अधिकार से बाहर होने के लिए प्रदान किया जाता है।

नियम को लागत के रूप में बिना किसी आदेश के पूर्ण बनाया जाता है।

55. हमारे समक्ष सूचीबद्ध अपीलें विवादित हैं।

जहां तक सदस्यों के क्लबों पर लगाए जाने वाले सेवा कर का संबंध है, वे निर्णय जो संक्षेप में इन दो निर्णयों का पालन करते हैं। हमारे सामने अधिकांश मामले उन सदस्यों के क्लबों से संबंधित हैं जो कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं, या विभिन्न राज्य अधिनियमों के तहत पंजीकृत सहकारी समितियां, ऐसी समितियां जो उपरोक्त अधिनियमों के तहत निगमित निकाय हैं। 56. राजस्व की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ध्रुव अग्रवाल ने हमें प्रासंगिक प्रावधानों के बारे में बताने के बाद कहा कि सदस्यों के क्लबों पर 2005 से सेवा कर लगाया गया था। 2012 से, वैधानिक परिवर्तन किए

जाने के बाद, ऐसे क्लबों पर सेवा कर लगाया जाना जारी रहा और राज्य पश्चिम बंगाल बनाम को आकर्षित किया गया।

यहां तक कि सदस्यों के क्लबों को निगमित रूप में, यानी कंपनियों के रूप में या पंजीकृत सहकारी समितियों के रूप में भी। श्री अग्रवाल के अनुसार, यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन में पारस्परिकता का सिद्धांत निर्धारित किया गया है (उपर्युक्त) को सेवा कर के संदर्भ में स्पष्ट रूप से समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि इन मामलों में बिक्री का कोई लेनदेन नहीं होता है, जैसा कि बिक्री कर के मामलों की अभी-अभी सुनवाई हुई है। उन्होंने अपने प्रस्ताव को पुष्ट करने के लिए कई फैसलों का हवाला दिया कि झारखंड और गुजरात के उच्च न्यायालयों ने यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन (उपरोक्त) के फैसले को गलत तरीके से लागू किया, जो बिक्री कर अधिनियमों के संदर्भ में था, और इसलिए कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं किया।

57. दूसरी ओर, इन मामलों में प्रत्यर्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील ने तर्क दिया कि सेवा कर कब लागू किया गया था

1994 में, विधायिका ने उन गतिविधियों का संकेत दिया जो सेवा के बराबर थीं, जिन्हें तब कर लगाने के उद्देश्य से चुना गया था। 2005 में, इस तथ्य के बावजूद कि सदस्यों के क्लबों का चयन किया गया था, सदस्यों के क्लबों को निगमित रूप में सेवा कर से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया था। 2012 के बाद, एक बड़ा बदलाव आया, जिसके परिणामस्वरूप सभी कर योग्य सेवाओं पर सेवा कर लगाया गया, जो वित्त अधिनियम की धारा 66 डी में निहित नकारात्मक सूची में शामिल सेवाओं से कम था। प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील के अनुसार, वही स्थिति जिसने पुनः प्राप्त कियाः धारा 65 बी (44) में स्पष्टीकरण 3 की शुरुआत के बावजूद निगमित सदस्यों के क्लब 2012 के बाद भी जारी रहे। सभी विद्वान वकीलों ने तर्क दिया कि जहां तक निगमित संस्थानों का संबंध है, पारस्परिकता के सिद्धांत को सेवा कर व्यवस्था में समाप्त नहीं किया गया था, और झारखंड और गुजरात उच्च न्यायालय इन मामलों में यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन (उपरोक्त) के फैसले को लागू करने में सही थे।

58. जैसा कि ऊपर कहा गया है, सेवा कर पहली बार वित्त अधिनियम, 1994 द्वारा लागू किया गया था। वित्त अधिनियम की धारा 64 (3) के तहत, अध्याय 5 कर योग्य सेवाओं पर लागू होता है, जैसा कि परिभाषित किया गया है।

16 जून, 2005 से। धारा 65 (25 ए) के तहत, "क्लब या संघ" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया थाः

" क्लब या एसोसिएशन "का अर्थ है कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय।

अपने सदस्यों को सदस्यता या किसी अन्य राशि के लिए सेवाएँ, सुविधाएँ या लाभ प्रदान करना, लेकिन इसमें शामिल नहीं है

(i) किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत स्थापित या गठित कोई भी व्यक्ति

((ii) किसी भी व्यक्ति या निकाय की गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति

ट्रेड यूनियन, कृषि, बागवानी या पशुपालन को बढ़ावा देना, या

((iii) कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति का निकाय जो किसी भी गतिविधि में लगा हुआ है, जिसके उद्देश्य लोक सेवा के हैं और

धर्मार्थ, धार्मिक या राजनीतिक प्रकृति का, या

((iv) प्रेस से जुड़ा कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय या

मीडिया।

59. धारा 65 (105) (जेडजेडई) के तहत, "कर योग्य सेवा" को निम्न स्तर पर परिभाषित किया गया थाः

" " " " कर योग्य सेवा का अर्थ है प्रदान की गई कोई भी सेवा।

(zze) के संबंध में किसी भी क्लब या संघ द्वारा अपने सदस्यों को

सदस्यता या किसी अन्य राशि के लिए सेवाओं, सुविधाओं या लाभों का प्रावधान।

60. 1 मई, 2011 से धारा 65 (25 एए) द्वारा "क्लब या एसोसिएशन" को निम्नानुसार संपादित किया गया थाः

" क्लब या एसोसिएशन "का अर्थ है कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय।

सेवाएं, सुविधाएँ या लाभ प्रदान करना, मुख्य रूप से इसके लिए

सदस्य सदस्यता या किसी अन्य राशि के लिए लेकिन नहीं शामिल करें

(i) किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत स्थापित या गठित कोई भी व्यक्ति

लागू होने का समय, या

((ii) किसी भी व्यक्ति या निकाय की गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति

ट्रेड यूनियन, कृषि, बागवानी या पशु संवर्धन

पशुपालन, या

((iii) किसी भी गतिविधि में संलग्न व्यक्ति या निकाय

ऐसे उद्देश्य जो लोक सेवा की प्रकृति के हैं और धर्मार्थ, धार्मिक या राजनीतिक प्रकृति के हैं, या

((iv) प्रेस से जुड़ा कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय या

मीडिया।

61 इसी तरह, धारा 65 (105) (zzze) में, "या कोई अन्य n" अभिव्यक्ति को "इसके सदस्यों के लिए" अभिव्यक्ति के बाद जोड़ा गया था, इस प्रकारकि कर जाल को अब चौड़ा कर दिया गया था ताकि क्लबों या संघों के गैर-सदस्यों को भी शामिल किया जा सके।

पश्चिम बंगाल की तिथि v. कलकत्ता क्लब लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]62. धारा 66 के तहत, यह कहा गया था कि खंड (105) के उपखंडों (जेडजेडजेड) में निर्दिष्ट सेवाओं के मूल्य के 12 प्रतिशत की दर से "सेवा कर" के रूप में निर्दिष्ट कर लगाया जाएगा।

65 पर, और इस तरह से एकत्र किया जाए जो निर्धारित किया जाए।

63. धारा 67 के तहत, जहां किसी पर भी सेवा कर लगाया जाता है।

सेवा के मूल्य के संदर्भ में, यह कहा गया थाः

" 67. सेवा कर लगाने के लिए कर योग्य सेवाओं का मूल्यांकन

(1) इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, जहां सेवा कर किसी कर योग्य सेवा पर उसके मूल्य के संदर्भ में प्रभार्य है,

तब ऐसा मूल्य होगा -

(i) ऐसे मामले में जहां सेवा का प्रावधान धन में विचार के लिए है, सेवा द्वारा ली गई सकल राशि होगी।

उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली या प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवा के लिए प्रदाता;

((ii) ऐसे मामले में जहां सेवा का प्रावधान किसी ऐसे प्रतिफल के लिए है जिसमें पूरी तरह से या आंशिक रूप से धन शामिल नहीं है, धन में ऐसी राशि हो जो सेवा कर के अतिरिक्त के रूप में ली जाए।

विचार के बराबर;

((ग) ऐसे मामले में जहां सेवा का प्रावधान विचार के लिए है जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। जितनी भी राशि हो सकती है

निर्धारित तरीके से निर्धारित किया गया "।

64. इसी तरह, धारा 68 के तहत यह कहा गया थाः

" 68. सेवा कर का भुगतान

(1) किसी भी व्यक्ति को कर योग्य सेवा प्रदान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति धारा 66 में निर्दिष्ट दर पर सेवा कर का भुगतान उस तरीके से और उस अवधि के भीतर करेगा जो निर्धारित की जाए।

65. 1 जुलाई, 2012 से धारा 65 और 65 ए लागू नहीं हुई और एक नई धारा 65 बी लागू की गई, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं -

65 बी (37) पर, "व्यक्ति" शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया थाः

" (37) " व्यक्ति में शामिल हैं,

((i) एक व्यक्ति, ((ख) एक हिंदू अविभाजित परिवार,

((iii) एक कंपनी, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सी आर।

((iv) एक समाज, ((v) सीमित देयता साझेदारी

(vi) एक फर्म,

((vii) व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय, चाहे

निगमित है या नहीं,

(viii) सरकार,

((ix) कोई स्थानीय प्राधिकारी, या

(x) प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, जो किसी के भी दायरे में नहीं आता है

पूर्ववर्ती उपखंड;

66. धारा 65 बी (44) के तहत, "सेवा" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया थाः“ (44) “ "सेवा" से किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे के लिए विचार के लिए की गई कोई गतिविधि अभिप्रेत है और इसमें एक घोषित सेवा शामिल है लेकिन

शामिल नहीं है

((क) ऐसी गतिविधि जिसमें केवल -

((i) माल या अचल संपत्ति में स्वामित्व का हस्तांतरण,

बिक्री, उपहार या किसी अन्य तरीके से; या

((ख) किसी भी माल का ऐसा हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति, जिसे संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (29 क) के अर्थ के भीतर बिक्री माना जाता है; या ((ग) धन में लेन-देन या कार्रवाई योग्य दावा;

) एक कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को सेवा का प्रावधान

उसके रोजगार के पाठ्यक्रम या उसके संबंध में;

) किसी भी कानून के तहत स्थापित किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण में ली गई फीस

समय बल में है।

स्पष्टीकरण 3. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए;(क) एक अनिगमित संघ या व्यक्तियों का एक निकाय, जैसा भी मामला हो, और उसके एक सदस्य के रूप में माना जाएगा

विशिष्ट व्यक्ति; पश्चिम बंगाल राज्य v. कल्कुट्टा क्लब लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(ख) कर योग्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति की स्थापना और गैर-कर योग्य क्षेत्र में उसके किसी अन्य प्रतिष्ठान की स्थापना

विशिष्ट व्यक्तियों के प्रतिष्ठानों के रूप में माना जाता है।

67. इसके बाद एक नई धारा 66 बी पेश की गई, जिसमें कहा गया है कि

बनाम ○:

" 66 वित्त अधिनियम, 2012 पर और उसके बाद सेवा कर का B.Charge

नकारात्मक सूची में निर्दिष्ट सेवाओं के अलावा सभी सेवाओं के मूल्य पर चौदह प्रतिशत की दर से कर (जिसे इसके बाद सेवा कर के रूप में संदर्भित किया जाएगा) लगाया जाएगा।

या कर योग्य क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को प्रदान करने के लिए सहमत हुए और इस तरह से एकत्र किया जाए जो निर्धारित किया जाए।

68. जैसा कि ऊपर कहा गया था, इस प्रकार सेवा कर अधिनियम की धारा 66 डी में निर्धारित सेवाओं की नकारात्मक सूची से कम, परिभाषित सेवाओं पर लगाया जा सकता था।69. इस न्यायालय के एक दिलचस्प निर्णय में, भारत संघ और v. मार्गदर्शी चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य। (2017) सी. सी. 806, इस न्यायालय ने सेवा कर के इतिहास को इस प्रकार रेखांकित कियाः

" 19. यह संशोधन डब्ल्यू. ई. एफ. 1-6-2007 द्वारा किया गया था जिसके तहत "लेकिन इसमें नकदी प्रबंधन शामिल नहीं है" शब्दों को हटा दिया गया था। यह प्रावधान 30-6-2012 तक क़ानून पुस्तिका में बना रहा। वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा सेवा कर की पूरी योजना को पूरी तरह से बदल दिया गया था और सेवा कर की पूरी तरह से नई प्रणाली की शुरुआत के साथ इसमें बदलाव किया गया था। सेवा कर व्यवस्था में एक आदर्श बदलाव आया। शुरुआत में, वित्त अधिनियम, 1994 द्वारा केवल तीन सेवाओं पर सेवा कर लगाया गया था। वित्त अधिनियम, 1996 ने शुल्क को तीन और सेवाओं तक बढ़ा दिया। वित्त अधिनियम, 1997 और इसके दायरे में 12 और सेवाओं को सेवा कर के दायरे में लाया गया।

वित्त अधिनियम, 1998 द्वारा इसका और विस्तार किया गया जब बारह और सेवाओं को सेवा कर के दायरे में लाया गया। तीन सेवाओं को वित्त अधिनियम, 1998 द्वारा और एक और सेवा को वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा सेवा कर से छूट दी गई थी। इसका दायरा वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा और बढ़ाया गया था जब सेवा कर को पंद्रह और सेवाओं को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया था। वित्त अधिनियम, 2002 ने दस और सेवाओं पर सेवा कर लगाया। वित्त अधिनियम, 2003 ने 8 नई सेवाओं को सेवा कर के दायरे में लाया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिसूचना संख्या 29/2011-एसटी दिनांक 25-4-2011,2 नई सेवाओं को इसके दायरे में लाया गया और साथ ही, स्वास्थ्य सेवा को डब्ल्यू. ई. एफ. 1-5-2011 से अधिसूचना संख्या 30/2011-एसटी दिनांक द्वारा छूट दी गई। 25-4-2011 . इस प्रकार, सेवा कर कुल 115 सेवाओं पर था।

20. इस प्रकार, 1994 से 2011 तक अपनाया गया तरीका उन सेवाओं को निर्दिष्ट करना था जिन पर सेवा कर लगाने का इरादा था। हालाँकि, संसद ने वित्त अधिनियम, 2012 डब्ल्यू. ई. एफ. 1-7-2012 द्वारा कर की पूरी तरह से नई प्रणाली शुरू की है।

प्रतिमान परिवर्तन करके सेवाएँ। अब, सेवाओं के कराधान की योजना सेवाओं की नकारात्मक सूची पर आधारित है। इसके अलावा, कर योग्य सेवाओं की पिछली सूची अब लागू नहीं है।

इसके बजाय दो चीजें हुई हैं। सबसे पहले, "सेवा" शब्द को परिभाषित किया गया है जबकि "सेवा" की कोई परिभाषा नहीं थी। वित्त अधिनियम, 1994 जो 2012 तक बना रहा। इससे पहले, प्रत्येक व्यक्तिगत सेवा जिस पर कर लगाया जाता था (जिसे कर योग्य सेवा के रूप में जाना जाता है) को परिभाषित किया जाता था। दूसरा, अब दी गई "सेवा" की परिभाषा में एक नकारात्मक सूची है जो धारा 66-डी में निहित है।

अधिनियम। दूसरे शब्दों में, यह विशेष रूप से कुछ को बाहर करता है सेवा के दायरे से लेनदेन। इस प्रकार, जिन लेनदेनों को विशेष रूप से बाहर रखा गया है, वे सेवा कर के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। कोई भी अन्य प्रकार की सेवा जो अधिनियम में निहित "सेवा" की परिभाषा के योग्य है, सेवा कर के दायरे से बाहर होगी। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम

70. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स एंड ओआरएस। वी. भारत संघ और ओआरएस। (2007) 7 एस. सी. सी. 527, इस न्यायालय ने सेवा कर लगाने की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए यह भी कहाः

" 8. जैसा कि ऊपर बताया गया है, सेवा कर वैट है। जिस तरह उत्पाद शुल्क वस्तुओं पर मूल्यवर्धन पर कर है, उसी तरह सेवा कर सेवाओं को प्रस्तुत करके मूल्यवर्धन पर है। इसलिए, हमारी समझ के लिए, मोटे तौर पर "सेवाएँ" दो श्रेणियों में आती हैं, अर्थात् संपत्ति आधारित।

सेवाएँ और प्रदर्शन आधारित सेवाएँ। संपत्ति आधारित सेवाओं में सेवा प्रदाता जैसे वास्तुकार, इंटीरियर शामिल हैं।
डिजाइनर, रियल एस्टेट एजेंट, निर्माण सेवाएं, मंडप,

आदि। प्रदर्शन आधारित सेवाएँ प्रदान की जाने वाली सेवाएँ हैं -

सेवा प्रदाता जैसे स्टॉक ब्रोकर, चार्टर्ड एकाउंटेंट, कॉस्ट एकाउंटेंट, सुरक्षा एजेंसियां, टूर ओपेरा टॉर्स, इवेंट मैनेजर, ट्रैवल एजेंट आदि।

कई फैसलों की पूरी तरह से समीक्षा करने के बाद, न्यायालय ने कहा कि संसद के पास सेवा कर लगाने की विधायी क्षमता है

भारत के संविधान की प्रविष्टि 97 सूची I के तहत। 71 इस पृष्ठभूमि के साथ, अब यह महत्वपूर्ण है कि वित्त अधिनियम की जांच की जाए, जैसा कि उसने प्राप्त किया था, सबसे पहले 16 जून, 2005 से 1 जुलाई, 2012 तक।

72. धारा 65 (25 ए) में निहित "क्लब या एसोसिएशन" की परिभाषा यह स्पष्ट करती है कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय जो अपने सदस्यों को सदस्यता या किसी अन्य राशि के लिए सेवाएं प्रदान करता है, वह कर दायरे में होगा। हालाँकि, जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि वर्तमान में लागू किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत "स्थापित या गठित" कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं है। श्री ध्रुव अग्रवाल ने डी. ए. एल. सी. ओ. इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम में निर्णयों पर बहुत जोर दिया। सतीश प्रभाकर पाध्ये और ओआरएस। (2010) 4 एस. सी. सी. 378 (विशेष रूप से पैराग्राफ 10,14 और 32 में) और सी. आई. टी., कानपुर और ए. एन. आर. वी. केनरा बैंक (2018) 9 एस. सी. सी. 322 (विशेष रूप से पैराग्राफ 12 और 17 में), इस प्रभाव के लिए कि कंपनी अधिनियम के तहत निगमित कंपनी को उस अधिनियम द्वारा "स्थापित" नहीं कहा जा सकता है। हालाँकि, जो बात छूट गई है, वह यह है कि कंपनी अधिनियम के तहत निगमित कंपनी या

राज्य अधिनियम के तहत एक सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत सहकारी समिति को निश्चित रूप से उस समय लागू किसी भी कानून के तहत "गठित" कहा जा सकता है। आर. सी. मित्तर एंड संस, कलकत्ता बनाम सीआईटी, पश्चिम बंगाल, [2019] 15 एस. सी. आर.

उट्टा (1959) सप। 2 एस. सी. आर. 641, इस न्यायालय के पास यह समझने का अवसर था कि इसका अर्थ साझेदारी के एक साधन के तहत "गठित" किया गया है, जो आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 26 ए में हुआ है। अदालत ने

" "गठित" शब्द का अर्थ आवश्यक रूप से "निर्मित" या "स्थापित" नहीं है, हालांकि इसका अर्थ यह भी हो सकता है। यह विचार भी शामिल है कानूनी रूप में समझौते को पहनें। ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी में

शब्दकोश, खंड। II, पीपी पर। 875 & 876 , शब्द "गठित" है

इसका अर्थ है, अन्य बातों के साथ-साथ, "स्थापित करना, स्थापित करना, स्थापित करना (एक संस्था, आदि)" और "कानूनी या आधिकारिक रूप या आकार देना (एक संस्था, आदि)।

सभा, आदि) "। इस प्रकार अपने व्यापक महत्व में इस शब्द में, साझेदारी बनाने या स्थापित करने का विचार और साझेदारी को कानूनी रूप देने का विचार दोनों शामिल होंगे। कलकत्ता की पीठ

आर. सी. मित्तर एंड संस बनाम के मामले में उच्च न्यायालय। इसलिए सी. आई. टी. [(1955) 28 आई. टी. आर. 698,704,705] अब जांच के दायरे में नहीं था। "गठन" शब्द को सीमित करने का अधिकार जिसका अर्थ केवल "बनाना" है, जब स्पष्ट रूप से इसका अर्थ किसी चीज़ को कानूनी रूप में रखना भी हो सकता है।

इसलिए, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने द्वारकादास के मामले में खेतान एंड कंपनी वी. सी. आई. टी. [(1956) 29 आई. टी. आर. 903,907] ने यह अभिनिर्धारित करना सही था कि इस धारा को लागू करने में केवल उस फर्म तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता है जिसे आंशिक रूप से काम करने के साधन द्वारा बनाया गया था, और यह कि यह उचित रूप से और वाणिज्यिक व्यवहार के अनुरूप, एक ऐसी फर्म पर लागू होने के लिए अभिनिर्धारित किया जा सकता है जो पहले एक मौखिक समझौते द्वारा अस्तित्व में आई हो, लेकिन शर्तें और

साझेदारी की शर्तों को बाद में एक दस्तावेज़ के रूप में कम कर दिया गया है। यदि हम "गठन" शब्द का अर्थ बड़े अर्थों में लगाते हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने जिस कठिनाई में खुद को पाया,

इस तरह से हटा दिया जाएगा क्योंकि धारा मामलों में लेगी

लिखित दस्तावेज़ के आधार पर अस्तित्व में आने वाली दोनों फर्में

विचार और वे भी जो शुरू में मौखिक समझौतों द्वारा अस्तित्व में आए होंगे, लेकिन जिनका बाद में गठन किया गया था

लिखित कार्यों के तहत "।

73. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संबंधित अधिनियमों के तहत पंजीकृत कंपनियों और सहकारी समितियों को निश्चित रूप से कहा जा सकता है -

उन अधिनियमों के तहत लागू किया गया। यह मामला होने के कारण, हम तर्क को स्वीकार करते हैं क्लबों या संघों को शामिल करने वाले उत्तरदाताओं में से आधे या

1 जुलाई, 2012 तक सेवा कर के दायरे में शामिल नहीं थे।

74. अगला सवाल यह उठता है कि क्या 1 जुलाई, 2012 के बाद इस स्थिति में कोई अंतर आया था?

75. यह देखा जा सकता है कि धारा 65 बी (44) में निहित "सेवा" की परिभाषा बहुत व्यापक है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे के लिए विचार के लिए की गई कोई भी गतिविधि। "व्यक्ति" को खंड में परिभाषित किया गया है। 65 बी (37) अन्य बातों के साथ-साथ, एक कंपनी, एक सोसायटी और प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो पूर्ववर्ती उपखंडों में से किसी में नहीं आता है, और साथ ही

व्यक्तियों का कोई संघ या व्यक्तियों का निकाय चाहे निगमित हो या नहीं।

76. बिक्री के बारे में वर्तमान निर्णय में अब तक क्या कहा गया है

कर का संबंध सेवा कर के सभी चार पहलुओं पर लागू होता है; जैसे कि, यदि एजेंसी, विश्वास और पारस्परिकता के सिद्धांत को सदस्यों के समूहों के लिए लागू किया जाना है, तो इसके लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए एक गतिविधि की जानी चाहिए।

विचार करें। हमने देखा है कि बिक्री कर से संबंधित निर्णय में तथ्य यह है कि सदस्यों के क्लबों में एक व्यक्ति द्वारा किसी को कोई बिक्री नहीं की जाती है।

दूसरा विचार के लिए, क्योंकि कोई खुद को कुछ नहीं बेच सकता है। यह सभी चार पर लागू होगा जब हम धारा 65 बी (44) के तहत "सेवा" की परिभाषा का भी अर्थ निकालेंगे।

77. हालाँकि, स्पष्टीकरण 3 को अब उपखंड (ए) के तहत शामिल किया गया है, जिसमें से अनिगमित संघों या व्यक्तियों के निकाय और उनके सदस्यों को वैधानिक रूप से अलग-अलग व्यक्तियों के रूप में माना जाना है।

78. 2006 के वित्त अधिनियम द्वारा जोड़ी गई धारा 65 का स्पष्टीकरण इस प्रकार हैः

" व्याख्याः इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कर योग्य सेवा में किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली या प्रदान की जाने वाली कोई भी कर योग्य सेवा शामिल है।

नकदी, आस्थगित भुगतान या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए अपने किसी सदस्य को गैर-निगमित संघ या व्यक्तियों का निकायः

79. यह ध्यान दिया जाएगा कि उपरोक्त स्पष्टीकरण काफी हद तक है

80. यह ध्यान दिया जाएगा कि "क्लब या संगठन" को पहले धारा 65 (25 ए) और 65 (25 एए) के तहत परिभाषित किया गया था जिसका अर्थ है "कोई भी व्यक्ति" या "संगठन का निकाय"। सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति। इन परिभाषाओं में, अभिव्यक्ति "[2019] 15 एस. सी. आर. का मुख्य भाग" है।

व्यक्ति "संभवतः उन व्यक्तियों को शामिल नहीं कर सकते हैं जो निगमित संस्थाएं हैं, क्योंकि ऐसी संस्थाओं को धारा 65 (25 ए) (आई) और 65 (25 ए) (आई) के तहत स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है" किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत स्थापित या गठित किया गया है। इसलिए, व्यक्तियों के निकाय में, इन परिभाषाओं के भीतर, उस समय लागू किसी भी कानून के तहत गठित निकाय शामिल नहीं होगा।

वे "एक व्यक्ति" द्वारा "दूसरे व्यक्ति" के लिए विचार के लिए किए गए थे। धारा 65 बी (37) द्वारा व्यक्ति को बहुत व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है जिसमें व्यक्तियों के साथ-साथ व्यक्तियों के सभी संघ या व्यक्तियों के निकाय शामिल हैं, चाहे वे निगमित हों या नहीं। खंड 3 का स्पष्टीकरण 65 बी (44), अभिव्यक्ति "व्यक्ति" या अभिव्यक्ति "व्यक्तियों या व्यक्तियों के निकायों का एक संघ, चाहे वह निगमित हो या न हो" का उपयोग करने के बजाय, अभिव्यक्ति "व्यक्तियों का एक निकाय" का उपयोग करता है जब "एक अनिगमित संघ" के साथ जोड़ा जाता है।

82. हम पहले ही देख चुके हैं कि कैसे अभिव्यक्ति "व्यक्तियों का शरीर" है।

धारा 65 के स्पष्टीकरण में आने वाली और धारा 65 (25 ए) और (25 एए) में आने वाली बात किसी निगमित कंपनी या निगमित कंपनी को संदर्भित नहीं करती है।

सहकारी समिति। चूँकि 2012 के बाद स्पष्टीकरण 3 में इसी अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है (धारा 65 बी (37) में निहित "व्यक्ति" की व्यापक परिभाषा के विपरीत), यह माना जा सकता है कि विधायिका ने सदस्यों के क्लबों पर कर नहीं लगाने की 2012 से पहले की योजना को जारी रखा है जब वे निगमित रूप में होते हैं। अभिव्यक्ति "व्यक्तियों का निकाय" इसके भीतर ऐसे व्यक्ति शामिल हो सकते हैं जो एक सामान्य उद्देश्य के लिए एक साथ आते हैं, लेकिन संभवतः एक कंपनी या एक पंजीकृत सहकारी समिति शामिल नहीं हो सकती है। इस प्रकार, धारा 65 बी (44) का स्पष्टीकरण 3 (ए) उन सदस्यों के क्लबों पर लागू नहीं होता है जो निगमित हैं।

83. "अनिगमित संघ" अभिव्यक्ति में शामिल होंगे

ऐसे व्यक्ति जो किसी सामान्य उद्देश्य या सामान्य कार्रवाई में एक साथ जुड़ते हैं-आईसीटी, बॉम्बे नॉर्थ, कच्छ और सौराष्ट्र, अहमदाबाद बनाम देखें। इंदिरा बालकृष्ण (1960) 3 एससीआर 513 पृष्ठ 519-520 पर। "जैसा भी मामला हो" अभिव्यक्ति व्यक्तियों के विभिन्न समूहों को संदर्भित करेगी जो या तो एक संघ के रूप में एक साथ जुड़े हुए हैं, या अन्यथा व्यक्तियों के एक समूह के रूप में जो किसी सामान्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक साथ आते हैं।

इसे जिस भी तरह से देखा जाए, महत्वपूर्ण यह है कि अभिव्यक्ति "व्यक्तियों का निकाय" संभवतः इसके भीतर निगमित निकायों को शामिल नहीं कर सकता है।

कि 2005 के बाद से, 1994 के वित्त अधिनियम का उद्देश्य सदस्यों के क्लबों पर निगमित रूप में सेवा कर लगाना नहीं है। 85. इसलिए राजस्व की अपीलों को खारिज कर दिया जाता है। 2017 की रिट बी याचिका (सिविल) No.321 को प्रार्थना (i) के संदर्भ में अनुमति दी गई है। नतीजतन, कारण दर्शाओ नोटिस, मांग नोटिस और अन्य कार्रवाई की गई

निगमित सदस्यों के क्लबों से सेवा कर लगाने और एकत्र करने को अमान्य घोषित किया जाता है और कानून में इसका कोई प्रभाव नहीं होता है।

माम

लों का निपटारा किया गया।

दिव्या पांडे